

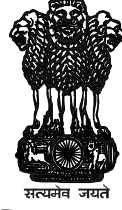


Bureau of Energy Efficiency

Ministry of Power, Government of India

Electric Water Heater (Geyser)

Short Title	Clause of EC Act, 2001	Notification/ Regulation/ Amendment & Date	Reference IS/ IEC Standards
Electric Water Heater (Geyser)	14 (b)	S.O. 2901(E) dated 7th September, 2016	IS 2082:1993 and IS 302-2-21: 2011 With all amendments
	14 (a)	S.O. 2902(E) dated 7th September, 2016	
	14 (a) Amendment I	S.O. 1385(E) dated 2nd May, 2017	
	14 (a) Amendment II	S.O. 6308 (E) dated 24th December, 2018	
	14 (a) Amendment III	S.O. 4486(E) dated 10 th December, 2020	
	14 (a) Amendment IV	S.O. 5776(E) dated 9 th December, 2022	
	14(d)	No. BEE/S&L/Water Heater/3/2015-16	
	14 (d) Amendment I	No. BEE/S&L/Water Heater/3/2022-23	



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2202]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 8, 2016/भाद्र 17, 1938

No. 2202]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 8, 2016/BHADRA 17, 1938

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2016

का.आ. 2901(अ).—केन्द्रीय सरकार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (ख) और (घ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ परामर्श से एतद्वारा घरेलू तथा समान प्रयोजनों के लिए 200 लीटर तक के एकल चरण विद्युत भंडार किस्म के पानी के हीटर निर्दिष्ट किया जाता है और यह पानी को उबलने के तापमान से कम गर्म करने के लिए आशयित है, इनका रेटेड वोल्टेज 250 वोल्ट से अधिक नहीं होता, अर्थात् :

- (क) बंद वॉटर हीटर :
- (ख) सिस्टर्न - फेड वॉटर हीटर;
- (ग) सिस्टर्न - वॉटर हीटर का प्रकार;
- (घ) खुले - आउटलेट वाले वॉटर हीटर; और
- (ङ.) वेंटिड वॉटर हीटर

उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए और निदेश दिया जाता है कि ऐसे अन्य उपकरण या ब्रिक्री के लिए विनिर्मित किए जा रहे या बेचे या खरीदे या आयात किए जा रहे उपकरणों के वर्ग पर इस प्रकार लेबल पर विवरण प्रदर्शित किए जाएंगे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (पानी के हीटर के लेबलों पर उनके प्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियमन, 2016 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

[फा. सं.13/14/2014-ईसी. पी-II]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF POWER**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th September, 2016

S.O. 2901(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies following single phase electric storage water heaters up to 200 litre, for household and similar purposes and intended for heating water below boiling temperature, their rated voltage being not more than 250 V, namely:—

- (a) Closed waters heaters:
- (b) Cistern-fed water heaters;
- (c) Cistern-type water heaters;
- (d) Open-outlet water heaters; and
- (e) Vented water heaters,

for the purposes of the said Act and directs that any such appliances or class of appliances being manufactured or sold or purchased or imported for sale shall display such particulars on labels in such manner as specified in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Stationary Storage Type Electric Water Heater) Regulations, 2016.

[F. No.13/14/2014-EC.P-II]

RAJ PAL, Economic Advisor



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2203]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 8, 2016/भाद्र 17, 1938

No. 2203]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 8, 2016/BHADRA 17, 1938

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2016

का.आ. 2902(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ परामर्श से स्टार लेबल युक्त विद्युत भंडार किस्म के पानी के हीटरों के लिए निम्नलिखित ऊर्जा खपत मानक विनिर्दिष्ट किए जाते हैं और इस मानक में घरेलू और समान प्रकार के प्रयोजनों के लिए एकल चरण विद्युत भंडार किस्म के पानी के हीटरों और उबलते हुए तापमान के नीचे पानी गर्म करने को शामिल किया गया, जिनका रेटेड वोल्टेज 250 वोल्ट से अधिक नहीं है, अर्थात् :-

1. भारत में विनिर्मित, आयातित अथवा बेचे जा रहे प्रत्येक किस्म के इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर (200 लीटर तक)-

- (क) भारतीय मानक आईएस 2082:1993 और आईएस 302-2-21 में यथा विनिर्दिष्ट मानकों का पालन करते हों;
- (ख) विद्युत पानी के हीटर की स्थायी खपत (किलोवॉट/24 घंटा/45 डिग्री सेल्सियस) की अपेक्षाओं का पालन करते हों।

2. ऊर्जा निष्पादन मानक के प्रयोजनों के लिए, संदर्भ जब तक अन्याथा अपेक्षित हो, -

- (क) साधित्र या यूनिट से अभिप्रेत है जो भारतीय मानक आईएस 2082:1993 और आईएस 302-2-21 में वर्णित विद्युत भंडार किस्म के पानी के हीटर (सभी प्रयोजनीय संशोधनों सहित, दोनों) से है।
- (ख) प्राधिकरण से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है।
- (ग) भागीदारी से पानी के हीटर के विनिर्माता, आयातक अथवा खुदरा व्यापारी अभिप्रेत है।

- (घ) **रेटेड क्षमता (लीटर)** से अभिप्रेत है जो हीटरों की निर्धारित क्षमता पर शून्य नकारात्मक सहिष्णुता और मापित क्षमता निर्धारित क्षमता से कम नहीं होगी।
- (ङ) **रेटेड इनपुट** से अभिप्रेत विद्युत भंडार किस्म के पानी के हीटर के नामपट्ट पर दर्शाई गई बिजली की इनपुट से है।
- (च) **रेटेड विद्युत (किलोवॉट)** से अभिप्रेत है जो विद्युत का इनपुट आईएस 302-2-21 और आईएस 302-1:2008 (दोनों सभी लागू होने से संशोधनों सहित) में यथा विहित निर्धारित क्षमता के +5%/- 10% के भीतर होगा।
- (छ) **स्थायी हानि (किलोवॉटघं./24 घंटे/45° से.)** से अभिप्रेत है जो स्थायी हानि भरे हुए विद्युत हीटर की विद्युत खपत है जो निरंतर स्थिर दशा के बाद प्राप्त होती है जब यह विद्युत की आपूर्ति से जुड़ा होता है और जब चौबीस घंटे तक कोई पानी नहीं लिया जाता और स्थायी हानि की गणना आईएस 2082:1993 के अनुसार की जाएगी और इस मानक की सारणियों (यथा लागू) 1, 2 और 3 में दी गई स्टार रेटिंग की जरूरतों के अनुरूप होती है।
- (ज) **स्टार रेटिंग बैंड** से अभिप्रेत है जो स्थायी हानि (किलोवॉटघं./24 घंटे/45° से.) की रेंज है जिसका उपयोग स्टार लेबल पर स्टारों की संख्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
- (झ) **स्टार लेबल** से अभिप्रेत है जो स्टार लेबल, जैसा विद्युत हीटर के लेबलों के संबंध में उनके वर्णन और प्रदर्शन की विधि; विनियमन, 2015 में वर्णित है।

3. स्टार रेटिंग अथवा स्टार स्तर योजना: (1) "स्टार रेटिंग या स्टार स्तर" से आशय विद्युत भंडार किस्म के पानी के हीटरों के लेबल पर दर्शाई गई स्थायी खपत (किलोवॉटघं./24 घंटे/45° से.) का ग्रेड है। उपलब्ध स्टार एक स्टार के अंतराल पर न्यूनतम एक और अधिकतम पांच दर्शाए जाते हैं। स्टार रेटिंग की गणना निम्नलिखित सारणी में यथा विनिर्दिष्ट स्टार रेटिंग बैंड से की जाती है।

सारणी

इस अधिसूचना की तारीख से 30 जून 2017 तक स्टार रेटिंग योजना विधिमान्य होगी

रेटेड क्षमता (लीटर)	1 स्टार	2 स्टार	3 स्टार	4 स्टार	5 स्टार
	स्थायी खपत (किलोवॉटघं./24 घंटे/45° से.)				
6	≤ 0.469 & > 0.426	≤ 0.426 & > 0.387	≤ 0.387 & > 0.352	≤ 0.352 & > 0.320	≤ 0.320
10	≤ 0.587 & > 0.534	≤ 0.534 & > 0.485	≤ 0.485 & > 0.441	≤ 0.441 & > 0.401	≤ 0.401
15	≤ 0.675 & > 0.614	≤ 0.614 & > 0.558	≤ 0.558 & > 0.507	≤ 0.507 & > 0.461	≤ 0.461

रेटेड क्षमता (लीटर)	1 स्टार	2 स्टार	3 स्टार	4 स्टार	5 स्टार
	स्थायी खपत (किलोवॉटघं./24 घंटे/45° से.)				
25	≤ 0.823 & > 0.748	≤ 0.748 & > 0.680	≤ 0.680 & > 0.618	≤ 0.618 & > 0.562	≤ 0.562
35	≤ 0.940 & > 0.855	≤ 0.855 & > 0.777	≤ 0.777 & > 0.706	≤ 0.706 & > 0.642	≤ 0.642
50	≤ 1.086 & > 0.988	≤ 0.988 & > 0.898	≤ 0.898 & > 0.816	≤ 0.816 & > 0.742	≤ 0.742
70	≤ 1.233 & > 1.121	≤ 1.121 & > 1.019	≤ 1.019 & > 0.926	≤ 0.926 & > 0.842	≤ 0.842
100	≤ 1.408 & > 1.280	≤ 1.280 & > 1.164	≤ 1.164 & > 1.058	≤ 1.058 & > 0.962	≤ 0.962
140	≤ 1.586 & > 1.441	≤ 1.441 & > 1.310	≤ 1.310 & > 1.191	≤ 1.191 & > 1.083	≤ 1.083
200	≤ 1.761 & > 1.601	≤ 1.601 & > 1.456	≤ 1.456 & > 1.323	≤ 1.323 & > 1.203	≤ 1.203

स्टार रेटिंग बैंड के लिए कोई सह्यता नहीं होगी (जैसा उपरोक्त सारणी में विनिर्दिष्ट है) और परीक्षित उत्पादों का औसत टाइप विद्युत पानी के हीटर के समान अथवा लेबल के निचले स्तर से बेहतर होगा और स्टार रेटिंग योजना की समीक्षा सारणी 'क' में दी गई अवधि समाप्त होने के बाद अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा: आवश्यक समझी जाने वाली अवधि पर की जाएगी।

4. परीक्षण और सह्यता: (1) एक विद्युत पानी के हीटर के स्टार लेबल के अवधारण के लिए निम्नलिखित परीक्षण पैरामीटरों का परीक्षण किया जाएगा :-

'परीक्षण पैरामीटर'	परीक्षण मानक
रेटेड क्षमता (लीटर)	आई एस 2082 : 1993 और आईएस 302-2-21 : 2011 (दोनों सभी लागू संशोधनों के साथ)''
रेटेड विद्युत् (कि. वॉ.)	
स्थायी हानि (कि. वॉ. घं.) प्रति 24 घंटे :	

(2) हीटरों की रेटेड क्षमता और मापन क्षमता पर शून्य नकारात्मक सह्यता रेटेड क्षमता से कम नहीं होगी.

(3) विद्युत का इनपुट, निर्धारित क्षमता के +5% से -10% के भीतर होगा।

5. परीक्षण रिपोर्ट: प्रत्येक इकाई के परीक्षणों के परिणाम इस अधिसूचना के उपाबंध में दिए गए रूप में बताए जाएंगे।

6. सत्यापन / अनुपालन की जांच के लिए नमूना लेने की विधि: सत्यापन के प्रयोजन के लिए प्रत्यायित प्रयोगशाला अर्थात् राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड जांच एवं अंशशोधन प्रयोगशाला में जांच के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो या इसकी नामोद्दिष्ट अभिकरण द्वारा नमूने एकत्र किए जाएंगे।

उपाबंध

परीक्षणों के परिणाम की रिपोर्टिंग के लिए प्रपत्र

परीक्षण रिपोर्ट सं. :

तारीख:

विद्युत भंडार किस्म के पानी केहीटर का ब्यौरा

- (i) ब्रांड :
- (ii) प्रकार :
- (iii) मॉडल का नाम :
- (iv) रेटेड क्षमता (लीटर) :
- (v) रेटेड इनपुट पावर (के. डब्ल्यू) :
- (vi) घोषित स्थायी हानि :

2. परीक्षण सारांश

- (i) लागू के रूप में प्रत्येक जांच प्रकार के लिए इस पेज की एक अलग प्रति पूर्ण करें
- (ii) जांच की तारीख :
- (iii) जांच कार्मिक का नाम:
- (iv) जांच का प्रकृति और जांच के ब्यौरे:
- (v) साधारण जांच स्थिति :
- (vi) ऊर्जा खपत जांच रिपोर्ट (प्रत्येक इकाई की जांच के लिए प्रस्तुत किया जाना है)

संप्रेक्षण और परिणाम :

जांच रिपोर्ट फॉर्मेट :

मॉडल :	क्षमता :
जांच के विवरण	परिवेश का तापमान
- जांच आरंभ करना :	
- जांच समाप्त करना :	
- जांच अवधि (t ₁) आरंभ करना :	
-	
ऊर्जा खपत के विवरण	
- समय (t ₁) (कि. वाॅ. घं.) में ऊर्जा खपत (t ₁)	
24 घंटे (कि. वाॅ. घं. / 24 घंटे) में ऊर्जा खपत :	
औसत तापमान (एम1 डिग्री से.) :	
स्थायी हानि (कि. वाॅ. घं. / 24 घंटे / 45 डिग्री से.)	

[फा. सं. 13/14/2014 – ईसी पी आई]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2016

S.O. 2902(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the Energy Performance Standards for star labeled Stationary Storage Type Electric Water Heaters and the standard covers the single phase electric storage water heaters for household and similar purposes and intended for heating water below boiling temperature, their rated voltage being not more than 250 V, namely:-

1. Every storage type electric water heater (up to 200 litre) being manufactured, imported, or sold in India shall-

(a) meet the compliance standards as specified in Indian Standard IS 2082:1993 and IS 302-2-21;

(b) meet the standing loss (kWh/24 hours/45 degree C) requirements of water heater.

2. For the purposes of Energy Performance Standard, unless the context otherwise requires,--

(a) **“Appliance” or “Unit”** means an electric storage water heaters described in Indian standard IS 2082:1993 and IS 302-2-21 (both with all amendments applicable);

(b) **“Authority”** means the Central Government;

(d) **“Participant”** means manufacturers, importers or retailers of the water heater;

(e) **“Rated capacity (Litre)”** means zero negative tolerance on rated capacity of heaters and the measured capacity shall not be less than the rated capacity;

(f) **“Rated input”** means the electrical power input shown on the nameplate of the electric storage water heaters;

(g) **“Rated Power (kW)”** means the power input, which shall be within +5% /-10% of the rated capacity as prescribed in IS 302-2-21: 1992 and IS 302-1: 2008 (both with all applicable amendments);

(h) **“Standing loss (kWh/24 hour/45°C)”** means the energy consumption of a filled water heater, after steady state conditions have been reached when connected to electrical supply, and when no water is drawn for twenty-four hours and the standing loss shall be calculated as per IS 2082:1993 and comply with the star rating requirement as given in Tables (as applicable) 1, 2 and 3 of this standard;

(i) **“Star Rating Band”** means a range of standing loss (kWh/24Hr/45°C) which is used for determining the number of stars displayed on the star label; and

(j) **“Star Label”** means Star label as described in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Water Heater) Regulations, 2015.

3. **Star Rating or Star Level Plan.- (1)** “Star rating or star level” means the grade of standing loss (kWh/24hr/45°C) displayed on the label of the electric storage water heaters. The available stars are between a minimum of one and a maximum of five shown in one star interval. The star rating is calculated from the Star Rating Band as specified in the following table, namely:-

TABLE

Star rating plan shall be valid from the date of this notification to the 30th June, 2017

Rated Capacity (Litres)	1 star	2 star	3 star	4 star	5 star
	Standing Losses (kWh/24 hour/45°C)				
6	≤0.469 & > 0.426	≤0.426 & > 0.387	≤0.387 & > 0.352	≤0.352 & > 0.320	≤ 0.320
10	≤0.587 & > 0.534	≤0.534 & > 0.485	≤0.485 & > 0.441	≤0.441 & > 0.401	≤ 0.401
15	≤ 0.675 & > 0.614	≤0.614 & > 0.558	≤ 0.558 & > 0.507	≤0.507 & > 0.461	≤ 0.461
25	≤0.823 & > 0.748	≤0.748 & > 0.680	≤0.680 & > 0.618	≤0.618 & > 0.562	≤ 0.562
35	≤0.940 & > 0.855	≤0.855 & > 0.777	≤0.777 & > 0.706	≤0.706 & > 0.642	≤ 0.642
50	≤1.086 & > 0.988	≤0.988 & > 0.898	≤0.898 & > 0.816	≤0.816 & > 0.742	≤ 0.742
70	≤1.233 & > 1.121	≤ 1.121 & > 1.019	≤ 1.019 & > 0.926	≤0.926 & > 0.842	≤ 0.842
100	≤1.408 & > 1.280	≤ 1.280 & > 1.164	≤1.164 & > 1.058	≤1.058 & > 0.962	≤ 0.962

Rated Capacity (Litres)	1 star	2 star	3 star	4 star	5 star
	Standing Losses (kWh/24 hour/45°C)				
140	≤ 1.586 & > 1.441	≤ 1.441 & > 1.310	≤ 1.310 & > 1.191	≤ 1.191 & > 1.083	≤ 1.083
200	≤ 1.761 & > 1.601	≤ 1.601 & > 1.456	≤ 1.456 & > 1.323	≤ 1.323 & > 1.203	≤ 1.203

(2) There shall be no tolerance for Star Rating Bands (as specified in above Table) and the average of products tested must be at par type electric water heater or better than the Label threshold and the star rating plan shall be reviewed after the expiry of period given in Table above or as deemed necessary by the Central Government.

4. Testing and Tolerance.

(1) For the purpose of determining the star level of a water heater, the following test parameters shall be tested, namely:-

“Test Parameters	Test Standards
Rated capacity (Litre)	IS 2082:1993 & IS 302-2-21: 2011 (both with all applicable amendments).”
Rated Power (kW)	
Standing loss (kWh) per 24 hour:	

(2) There shall be zero negative tolerance on rated capacity of heaters and the measured capacity shall not be less than the rated capacity.

(3) The power input shall be within +5% to -10% of the rated capacity.

5. **Test Report.** The result of the tests of each unit shall be reported as given in Annexure to this notification

6. **Sampling methodology for verification/compliance check.**- For the purpose of verification, the samples will be picked up by Bureau of Energy Efficiency or its designated agency for testing at the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory.

Annexure

Form for reporting the results of tests

Test Report No.

Date:

1. Details of Stationary Storage Electric Water Heater

- (i) Brand:
- (ii) Type:
- (iii) Model name:
- (iv) Rated capacity (Litre):
- (v) Rated Input Power (kW):
- (vi) Declared Standing Loss (kWh):

2. Test summary

- (i) Complete a separate copy of this page for each test type, as applicable
- (ii) Date of test:
- (iii) Name of the Testing personnel:
- (iv) Nature of Test / Test details:
- (v) General Test condition:,
- (vi) Energy Consumption Test Report (to be submitted for each unit tested):

Observations and Results:

Test Report Format:

Model:		Capacity:	
Test Details		Ambient Temperature	
- Test Started on:			
- Test Ended on:			
- Test Duration (t_1) started on:			
Energy Consumption Details			
- Energy consumption (t_1) in time (t_1) (kWh) :			
Energy Consumption in 24 h (kWh / 24 hr) :			
Mean Temperature (M1) (degree C) :			
Standing Loss (kWh / 24 hr / 45 degree C) :			

[No. 13/14/2014-EC P I]

RAJ PAL, Economic Advisor



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1223]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 2, 2017/वैशाख 12, 1939

No. 1223]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 2017/VAISAKHA 12, 1939

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2017

का.आ. 1385(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2902(अ) तारीख 7 सितम्बर, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के पैरा 3 में,-

(क) उप पैरा (1) में, विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएंगी, अर्थात्:-

सारणी: 3.1

स्टार रेटिंग योजना की विधिमान्यता (7 सितम्बर, 2016 से 30 जून, 2017 तक)

रेटिंग क्षमता (लीटर)	1 स्टार	2 स्टार	3 स्टार	4 स्टार	5 स्टार
	स्थायी हानि (किलोवॉट/24 घंटे/45° से.)				
6	$\leq 0.469 \& > 0.426$	$\leq 0.426 \& > 0.387$	$\leq 0.387 \& > 0.352$	$\leq 0.352 \& > 0.320$	≤ 0.320
10	$\leq 0.587 \& > 0.534$	$\leq 0.534 \& > 0.485$	$\leq 0.485 \& > 0.441$	$\leq 0.441 \& > 0.401$	≤ 0.401
15	$\leq 0.675 \& > 0.614$	$\leq 0.614 \& > 0.558$	$\leq 0.558 \& > 0.507$	$\leq 0.507 \& > 0.461$	≤ 0.461
25	$\leq 0.823 \& > 0.748$	$\leq 0.748 \& > 0.680$	$\leq 0.680 \& > 0.618$	$\leq 0.618 \& > 0.562$	≤ 0.562
35	$\leq 0.940 \& > 0.855$	$\leq 0.855 \& > 0.777$	$\leq 0.777 \& > 0.706$	$\leq 0.706 \& > 0.642$	≤ 0.642
50	$\leq 1.086 \& > 0.988$	$\leq 0.988 \& > 0.898$	$\leq 0.898 \& > 0.816$	$\leq 0.816 \& > 0.742$	≤ 0.742
70	$\leq 1.233 \& > 1.121$	$\leq 1.121 \& > 1.019$	$\leq 1.019 \& > 0.926$	$\leq 0.926 \& > 0.842$	≤ 0.842

100	$\leq 1.408 \& > 1.280$	$\leq 1.280 \& > 1.164$	$\leq 1.164 \& > 1.058$	$\leq 1.058 \& > 0.962$	≤ 0.962
140	$\leq 1.586 \& > 1.441$	$\leq 1.441 \& > 1.310$	$\leq 1.310 \& > 1.191$	$\leq 1.191 \& > 1.083$	≤ 1.083
200	$\leq 1.761 \& > 1.601$	$\leq 1.601 \& > 1.456$	$\leq 1.456 \& > 1.323$	$\leq 1.323 \& > 1.203$	≤ 1.203

सारणी: 3.2

स्टार रेटिंग योजना की विधिमान्यता (1 जुलाई, 2017 से 31 दिसम्बर, 2018 तक)

रेटेड क्षमता (लीटर)	1 स्टार	2 स्टार	3 स्टार	4 स्टार	5 स्टार
	स्थायी हानि (किलोवॉट/24 घंटे/45° से.)				
6	$\leq 0.469 \& > 0.426$	$\leq 0.426 \& > 0.387$	$\leq 0.387 \& > 0.352$	$\leq 0.352 \& > 0.320$	≤ 0.320
10	$\leq 0.587 \& > 0.534$	$\leq 0.534 \& > 0.485$	$\leq 0.485 \& > 0.441$	$\leq 0.441 \& > 0.401$	≤ 0.401
15	$\leq 0.675 \& > 0.614$	$\leq 0.614 \& > 0.558$	$\leq 0.558 \& > 0.507$	$\leq 0.507 \& > 0.461$	≤ 0.461
25	$\leq 0.823 \& > 0.748$	$\leq 0.748 \& > 0.680$	$\leq 0.680 \& > 0.618$	$\leq 0.618 \& > 0.562$	≤ 0.562
35	$\leq 0.940 \& > 0.855$	$\leq 0.855 \& > 0.777$	$\leq 0.777 \& > 0.706$	$\leq 0.706 \& > 0.642$	≤ 0.642
50	$\leq 1.086 \& > 0.988$	$\leq 0.988 \& > 0.898$	$\leq 0.898 \& > 0.816$	$\leq 0.816 \& > 0.742$	≤ 0.742
70	$\leq 1.233 \& > 1.121$	$\leq 1.121 \& > 1.019$	$\leq 1.019 \& > 0.926$	$\leq 0.926 \& > 0.842$	≤ 0.842
100	$\leq 1.408 \& > 1.280$	$\leq 1.280 \& > 1.164$	$\leq 1.164 \& > 1.058$	$\leq 1.058 \& > 0.962$	≤ 0.962
140	$\leq 1.586 \& > 1.441$	$\leq 1.441 \& > 1.310$	$\leq 1.310 \& > 1.191$	$\leq 1.191 \& > 1.083$	≤ 1.083
200	$\leq 1.761 \& > 1.601$	$\leq 1.601 \& > 1.456$	$\leq 1.456 \& > 1.323$	$\leq 1.323 \& > 1.203$	≤ 1.203 ”;

(ii) उप पैरा (1) के पश्चात निम्नलिखित उप पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(1क) उक्त भंडारण प्रकार के बिजली के वॉटर हीटर के न्यूनतम ऊर्जा निष्पादन स्तर को उन्नत बनाने के विचार से 1 जुलाई 2017 से सारणी 3.2 में निर्दिष्ट 1 स्टार और 2 स्टार के लिए 100 लीटर की रेटिड क्षमता वाले भंडारण प्रकार के बिजली के वॉटर हीटर पर विवरणों के सम्प्रदर्श के लिए अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(iii) उप पैरा (2) में निम्नलिखित उप पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(2) स्टार रेटिंग बैंड के लिए कोई ऋणात्मक छूट नहीं होगी और सभी परखे गए उपकरण प्रत्येक स्टार रेटिंग स्तर के लिए न्यूनतम श्रेष्ठ होल्ड पूरे करेंगे; और विनिर्माण छूट के विस्तार और अन्य विविधताओं को स्टार रेटिंग का निर्धारण करते समय विनिर्माता द्वारा विचार में लिया जाएगा।

स्टार रेटिंग योजना की पुनर्विलोकित उपरोक्त सारणी में दी गई समय अवधि पूरी होने के बाद या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनिवार्य ठीक जाने पर की जाएगी।”.

[फा. सं. 13/14/2014-ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में अधिसूचना सं. का. आ. 2902(अ) तारीख 7 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF POWER**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd May, 2017

S.O. 1385(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O. 2902(E), dated the 7th September, 2016, namely:-

In the said notification, in paragraph 3,-

(a) in sub-paragraph (1), for the existing Table, the following Tables shall be substituted, namely:-

“TABLE: 3.1**Star rating plan validity (From 7th September, 2016 to 30th June 2017)**

Rated Capacity (Litres)	1 star	2 star	3 star	4 star	5 star
	Standing Losses (kWh/24 hour/45°C)				
6	≤ 0.469 & > 0.426	≤ 0.426 & > 0.387	≤ 0.387 & > 0.352	≤ 0.352 & > 0.320	≤ 0.320
10	≤ 0.587 & > 0.534	≤ 0.534 & > 0.485	≤ 0.485 & > 0.441	≤ 0.441 & > 0.401	≤ 0.401
15	≤ 0.675 & > 0.614	≤ 0.614 & > 0.558	≤ 0.558 & > 0.507	≤ 0.507 & > 0.461	≤ 0.461
25	≤ 0.823 & > 0.748	≤ 0.748 & > 0.680	≤ 0.680 & > 0.618	≤ 0.618 & > 0.562	≤ 0.562
35	≤ 0.940 & > 0.855	≤ 0.855 & > 0.777	≤ 0.777 & > 0.706	≤ 0.706 & > 0.642	≤ 0.642
50	≤ 1.086 & > 0.988	≤ 0.988 & > 0.898	≤ 0.898 & > 0.816	≤ 0.816 & > 0.742	≤ 0.742
70	≤ 1.233 & > 1.121	≤ 1.121 & > 1.019	≤ 1.019 & > 0.926	≤ 0.926 & > 0.842	≤ 0.842
100	≤ 1.408 & > 1.280	≤ 1.280 & > 1.164	≤ 1.164 & > 1.058	≤ 1.058 & > 0.962	≤ 0.962
140	≤ 1.586 & > 1.441	≤ 1.441 & > 1.310	≤ 1.310 & > 1.191	≤ 1.191 & > 1.083	≤ 1.083
200	≤ 1.761 & > 1.601	≤ 1.601 & > 1.456	≤ 1.456 & > 1.323	≤ 1.323 & > 1.203	≤ 1.203

TABLE: 3.2**Star rating plan validity (From 1st July, 2017 to 31st December, 2018)**

Rated Capacity (Litres)	1 star	2 star	3 star	4 star	5 star
	Standing Losses (kWh/24 hour/45°C)				
6	≤ 0.469 & > 0.426	≤ 0.426 & > 0.387	≤ 0.387 & > 0.352	≤ 0.352 & > 0.320	≤ 0.320
10	≤ 0.587 & > 0.534	≤ 0.534 & > 0.485	≤ 0.485 & > 0.441	≤ 0.441 & > 0.401	≤ 0.401
15	≤ 0.675 & > 0.614	≤ 0.614 & > 0.558	≤ 0.558 & > 0.507	≤ 0.507 & > 0.461	≤ 0.461
25	≤ 0.823 & > 0.748	≤ 0.748 & > 0.680	≤ 0.680 & > 0.618	≤ 0.618 & > 0.562	≤ 0.562
35	≤ 0.940 & > 0.855	≤ 0.855 & > 0.777	≤ 0.777 & > 0.706	≤ 0.706 & > 0.642	≤ 0.642
50	≤ 1.086 & > 0.988	≤ 0.988 & > 0.898	≤ 0.898 & > 0.816	≤ 0.816 & > 0.742	≤ 0.742
70	≤ 1.233 & > 1.121	≤ 1.121 & > 1.019	≤ 1.019 & > 0.926	≤ 0.926 & > 0.842	≤ 0.842
100	≤ 1.408 & > 1.280	≤ 1.280 & > 1.164	≤ 1.164 & > 1.058	≤ 1.058 & > 0.962	≤ 0.962
140	≤ 1.586 & > 1.441	≤ 1.441 & > 1.310	≤ 1.310 & > 1.191	≤ 1.191 & > 1.083	≤ 1.083
200	≤ 1.761 & > 1.601	≤ 1.601 & > 1.456	≤ 1.456 & > 1.323	≤ 1.323 & > 1.203	≤ 1.203 ”;

(b) for sub-paragraph (2), the following sub-paragraphs shall be substituted, namely:-

“(2) The permission for display of particulars on the storage type electric water heater up to the rated capacity of 100 litres for 1 star and 2 star specified in Table 3.2 shall not be permitted with effect from the 1st day of July, 2017 with a view to upgrade the minimum energy performance level of such storage type electric water heater.

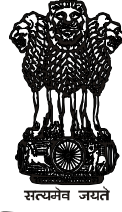
(3) There shall be no negative tolerance for Star Rating Bands and all tested equipments shall meet the minimum threshold for each star rating level; and the scope for manufacturing tolerance and other variations shall be accounted by the manufacturer when determining the star rating.

(4) The star rating plan shall be reviewed after the expiry of period given in Table above or as deemed necessary by the Central Government.”.

[No. 13/14/2014-EC]

RAJ PAL, Economic Advisor

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section-3, sub-section (ii) vide notification number S.O. 2902(E), dated the 7th September, 2016.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5068]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 24, 2018/पौष 3, 1940

No. 5068]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 24, 2018/PAUSHA 3, 1940

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6308(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2902(अ.) तारीख 7 सितम्बर, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के, पैरा 3 में,—

(क) उप पैरा (1) में, सारणी 3.2 के पश्चात् निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:—

“सारणी: 3.3

स्टार रेटिंग योजना की विधिमान्यता (01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2020 तक)

रेटिंग क्षमता (लीटर)	1 स्टार	2 स्टार	3 स्टार	4 स्टार	5 स्टार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	$\leq 0.426 \ \& \gt 0.387$	$\leq 0.387 \ \& \gt 0.352$	$\leq 0.352 \ \& \gt 0.320$	$\leq 0.320 \ \& \gt 0.291$	≤ 0.291
10	$\leq 0.534 \ \& \gt 0.485$	$\leq 0.485 \ \& \gt 0.441$	$\leq 0.441 \ \& \gt 0.401$	$\leq 0.401 \ \& \gt 0.365$	≤ 0.365
15	$\leq 0.614 \ \& \gt 0.558$	$\leq 0.558 \ \& \gt 0.507$	$\leq 0.507 \ \& \gt 0.461$	$\leq 0.461 \ \& \gt 0.419$	≤ 0.419
25	$\leq 0.748 \ \& \gt 0.680$	$\leq 0.680 \ \& \gt 0.618$	$\leq 0.618 \ \& \gt 0.562$	$\leq 0.562 \ \& \gt 0.511$	≤ 0.511
35	$\leq 0.855 \ \& \gt 0.777$	$\leq 0.777 \ \& \gt 0.706$	$\leq 0.706 \ \& \gt 0.642$	$\leq 0.642 \ \& \gt 0.584$	≤ 0.584
50	$\leq 0.988 \ \& \gt 0.898$	$\leq 0.898 \ \& \gt 0.816$	$\leq 0.816 \ \& \gt 0.742$	$\leq 0.742 \ \& \gt 0.675$	≤ 0.675
70	$\leq 1.121 \ \& \gt 1.019$	$\leq 1.019 \ \& \gt 0.926$	$\leq 0.926 \ \& \gt 0.842$	$\leq 0.842 \ \& \gt 0.766$	≤ 0.766
100	$\leq 1.280 \ \& \gt 1.164$	$\leq 1.164 \ \& \gt 1.058$	$\leq 1.058 \ \& \gt 0.962$	$\leq 0.962 \ \& \gt 0.875$	≤ 0.875
140	$\leq 1.441 \ \& \gt 1.310$	$\leq 1.310 \ \& \gt 1.191$	$\leq 1.191 \ \& \gt 1.083$	$\leq 1.083 \ \& \gt 0.985$	≤ 0.985
200	$\leq 1.601 \ \& \gt 1.456$	$\leq 1.456 \ \& \gt 1.323$	$\leq 1.323 \ \& \gt 1.203$	$\leq 1.203 \ \& \gt 1.088$	≤ 1.088 ”;

(ख) उप पैरा (2), के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) उक्त भंडारण प्रकार के बिजली के जल हीटर के न्यूनतम ऊर्जा निष्पादन स्तर को उन्नत बनाने के विचार से 01 जनवरी, 2019 से सारणी 3.3 में विनिर्दिष्ट 1 स्टार के लिए 200 लीटर की रेटिड क्षमता वाले भंडारण प्रकार के बिजली के जल हीटर पर विवरणों के संप्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।”

[फा. सं. 13/14/2014-ईसी (खण्ड.-I)]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 2902 (अ) तारीख 7 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात इसमें का.आ. 1385 तारीख 02 मई, 2017 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2018

S.O. 6308(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O. 2902 (E), dated the 7th September, 2016, namely:—

In the said notification, in paragraph 3,-

(a) in sub-paragraph (1), after Table 3.2, the following Table shall be inserted, namely:-

“TABLE 3.3

Star Rating Plan Validity (from 1st January, 2019 to 31st December, 2020)

Rated Capacity (Liters)	1 star	2 star	3 star	4 star	5 star
Standing Losses (kWh/24 hour/45°C)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	≤0.426 & > 0.387	≤0.387 & > 0.352	≤0.352 & > 0.320	≤ 0.320 & >0.291	≤ 0.291
10	≤0.534 & > 0.485	≤0.485 & > 0.441	≤0.441 & > 0.401	≤ 0.401 & >0.365	≤ 0.365
15	≤0.614 & > 0.558	≤ 0.558 & > 0.507	≤0.507 & > 0.461	≤ 0.461 & > 0.419	≤ 0.419
25	≤0.748 & > 0.680	≤0.680 & > 0.618	≤0.618 & > 0.562	≤ 0.562 & >0.511	≤ 0.511
35	≤0.855 & > 0.777	≤0.777 & > 0.706	≤0.706 & > 0.642	≤ 0.642 & >0.584	≤ 0.584
50	≤0.988 & > 0.898	≤0.898 & > 0.816	≤0.816 & > 0.742	≤ 0.742 & >0.675	≤ 0.675
70	≤ 1.121 & > 1.019	≤ 1.019 & > 0.926	≤0.926 & > 0.842	≤ 0.842 & > 0.766	≤ 0.766
100	≤ 1.280 & > 1.164	≤1.164 & > 1.058	≤1.058 & > 0.962	≤ 0.962 & > 0.875	≤0.875
140	≤1.441 & > 1.310	≤1.310 & > 1.191	≤1.191 & > 1.083	≤ 1.083 & > 0.985	≤ 0.985
200	≤1.601 & > 1.456	≤1.456 & > 1.323	≤1.323 & > 1.203	≤ 1.203 & > 1.088	≤ 1.088”;

(b) for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) The permission for display of particulars on storage type electric water heater up to the rated capacity of 200 litres for 1 Star specified in Table 3.3 shall not be permitted from the 1st day of January, 2019 with a view to upgrade the minimum energy performance level of such storage type electric water heater”.

[F. No. 13/14/2014-EC (Vol.-I)]

RAJ PAL, Economic Adviser

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 2902(E), dated the 8th September, 2016 and subsequently amended *vide* S.O. 1385 dated the 2nd May, 2017.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10122020-223642
CG-DL-E-10122020-223642

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3945]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 10, 2020/अग्रहायण 19, 1942

No. 3945]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 10, 2020/AGRAHAYANA 19, 1942

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसंबर, 2020

का. आ. 4486(अ).— केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से अधिसूचना संख्यांक का.आ. 6308(अ) तारीख 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना को और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के पैरा 3 की सारणी 3.3 के उप-पैरा (1) में "1 जनवरी, 2019 से 31 दिसंबर, 2020 तक" के अंकों और शब्दों के स्थान पर "1 जनवरी, 2019 से 30 जून, 2021 तक" के अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 10/14/2020- ईसी]

राजपाल, वरिष्ठ सलाहकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड (घ)-3, उप-खण्ड (ii) में तारीख 7 सितम्बर, 2016 की अधिसूचना सं. का.आ. 2902(अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् इसमें तारीख 02 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1385(अ) तथा तारीख 24 दिसंबर, 2018 की अधिसूचना सं. का.आ. 6308(अ) द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF POWER**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th December, 2020.

S.O. 4486(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following rules further to amend in the notification of the Government of India in the Ministry of Power vide notification number S.O. 6308 (E), dated the 24th December, 2018, namely:-

In the said notification, in paragraph 3, in Table 3.3, in sub-paragraph (1), for the figures and words “1st January, 2019 to 31st December, 2020”, the figures and words “1st January, 2019 to 30th June, 2021” shall be substituted.

[F.No.10/14/2020-EC]

RAJPAL, Senior Adviser

Note. The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 2902(E), dated the 7th September, 2016 and subsequently amended *vide* notification number S.O.1385(E) dated the 2nd May, 2017 and *vide* notification number S.O. 6308(E), dated the 24th December, 2018.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12122022-240986
CG-DL-E-12122022-240986

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5540]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 12, 2022/अग्रहायण 21, 1944

No. 5540]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 12, 2022/AGRAHAYANA 21, 1944

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5776(अ).—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52), की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाते हुए भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की तारीख 8 सितंबर, 2016 की अधिसूचना सं. का.आ. 6308 (अ.) में आगे संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के, पैरा 3 में,-

(क) उप पैरा (1) में, सारणी 3.3 के पश्चात् निम्नलिखित सारणी रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“तालिका 3.4”

स्टार रेटिंग योजना की विधिमान्यता (01 जनवरी, 2023 से 31 दिसम्बर, 2025 तक)

निर्धारित क्षमता (लीटर)	1 स्टार	2 स्टार	3 स्टार	4 स्टार	5 स्टार
	स्थायी खपत (किलोवॉट घण्टा/24 घण्टा/45°से०)				
6	$\leq 0.426 \ \& \gt 0.387$	$\leq 0.352 \ \& \gt 0.320$	$\leq 0.320 \ \& \gt 0.291$	$\leq 0.291 \ \& \gt 0.265$	≤ 0.265
10	$\leq 0.485 \ \& \gt 0.441$	$\leq 0.441 \ \& \gt 0.401$	$\leq 0.401 \ \& \gt 0.365$	$\leq 0.365 \ \& \gt 0.332$	≤ 0.332
15	$\leq 0.558 \ \& \gt 0.507$	$\leq 0.507 \ \& \gt 0.461$	$\leq 0.461 \ \& \gt 0.419$	$\leq 0.419 \ \& \gt 0.381$	≤ 0.381

25	$\leq 0.680 \text{ \& } 0.618$	$\leq 0.618 \text{ \& } 0.562$	$\leq 0.562 \text{ \& } 0.511$	$\leq 0.511 \text{ \& } 0.465$	≤ 0.465
35	$\leq 0.777 \text{ \& } 0.706$	$\leq 0.706 \text{ \& } 0.642$	$\leq 0.642 \text{ \& } 0.584$	$\leq 0.584 \text{ \& } 0.531$	≤ 0.531
50	$\leq 0.898 \text{ \& } 0.816$	$\leq 0.816 \text{ \& } 0.742$	$\leq 0.742 \text{ \& } 0.675$	$\leq 0.675 \text{ \& } 0.614$	≤ 0.614
70	$\leq 1.019 \text{ \& } 0.926$	$\leq 0.926 \text{ \& } 0.842$	$\leq 0.842 \text{ \& } 0.766$	$\leq 0.766 \text{ \& } 0.697$	≤ 0.697
100	$\leq 1.164 \text{ \& } 1.058$	$\leq 1.058 \text{ \& } 0.962$	$\leq 0.962 \text{ \& } 0.875$	$\leq 0.875 \text{ \& } 0.796$	≤ 0.796
140	$\leq 1.310 \text{ \& } 1.191$	$\leq 1.191 \text{ \& } 1.083$	$\leq 1.083 \text{ \& } 0.985$	$\leq 0.985 \text{ \& } 0.896$	≤ 0.896
200	$\leq 1.456 \text{ \& } 1.323$	$\leq 1.323 \text{ \& } 1.203$	$\leq 1.203 \text{ \& } 1.088$	$\leq 1.088 \text{ \& } 0.984$	≤ 0.984

ख) उप पैरा (2), के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(2) उक्त भंडारण प्रकार के बिजली के जल हीटर के न्यूनतम ऊर्जा निष्पादन स्तर को उन्नत बनाने के विचार से 1 जनवरी, 2023 से सारणी 3.4 में विनिर्दिष्ट 1 स्टार के लिए 200 लीटर की रेटिड क्षमता वाले भंडारण प्रकार के बिजली के जल हीटर पर विवरणों के संप्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। ”

[फा. सं. 10/7/2022-ईसी]

अजय तिवारी, अपर सचिव

टिप्पण: ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii) में, अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2902(ई), दिनांक 8 सितंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम संशोधन एस.ओ. 4208 (ई), दिनांक 11 अक्टूबर, 2021 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2022

S.O. 5776(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Power, number S.O. 2902 (E), dated the 7th September, 2016, namely:-

In the said notification, in paragraph 3,-

(a) in sub-paragraph (1), after Table 3.3, the following Table shall be inserted, namely:-

“TABLE 3.4

Star Rating Plan Validity (from 1st January, 2023 to 31st December, 2025)

Rated Capacity (Liters)	1 star	2 star	3 star	4 star	5 star
	Standing Losses (kWh/24 hour/45°C)				
6	$\leq 0.426 \text{ \& } 0.387$	$\leq 0.352 \text{ \& } 0.320$	$\leq 0.320 \text{ \& } 0.291$	$\leq 0.291 \text{ \& } 0.265$	≤ 0.265
10	$\leq 0.485 \text{ \& } 0.441$	$\leq 0.441 \text{ \& } 0.401$	$\leq 0.401 \text{ \& } 0.365$	$\leq 0.365 \text{ \& } 0.332$	≤ 0.332
15	$\leq 0.558 \text{ \& } 0.507$	$\leq 0.507 \text{ \& } 0.461$	$\leq 0.461 \text{ \& } 0.419$	$\leq 0.419 \text{ \& } 0.381$	≤ 0.381
25	$\leq 0.680 \text{ \& } 0.618$	$\leq 0.618 \text{ \& } 0.562$	$\leq 0.562 \text{ \& } 0.511$	$\leq 0.511 \text{ \& } 0.465$	≤ 0.465
35	$\leq 0.777 \text{ \& } 0.706$	$\leq 0.706 \text{ \& } 0.642$	$\leq 0.642 \text{ \& } 0.584$	$\leq 0.584 \text{ \& } 0.531$	≤ 0.531
50	$\leq 0.898 \text{ \& } 0.816$	$\leq 0.816 \text{ \& } 0.742$	$\leq 0.742 \text{ \& } 0.675$	$\leq 0.675 \text{ \& } 0.614$	≤ 0.614

70	$\leq 1.019 \ \&> \ 0.926$	$\leq 0.926 \ \&> \ 0.842$	$\leq 0.842 \ \&> \ 0.766$	$\leq 0.766 \ \&> \ 0.697$	≤ 0.697
100	$\leq 1.164 \ \&> \ 1.058$	$\leq 1.058 \ \&> \ 0.962$	$\leq 0.962 \ \&> \ 0.875$	$\leq 0.875 \ \&> \ 0.796$	≤ 0.796
140	$\leq 1.310 \ \&> \ 1.191$	$\leq 1.191 \ \&> \ 1.083$	$\leq 1.083 \ \&> \ 0.985$	$\leq 0.985 \ \&> \ 0.896$	≤ 0.896
200	$\leq 1.456 \ \&> \ 1.323$	$\leq 1.323 \ \&> \ 1.203$	$\leq 1.203 \ \&> \ 1.088$	$\leq 1.088 \ \&> \ 0.984$	≤ 0.984 ;

(b) for sub-paragraph (2), the following sub paragraph shall be substituted, namely:-

“(2) The permission for display of particulars on storage type electric water heater up to the rated capacity of 200 litres for 1 Star specified in Table 3.4 shall not be permitted from the 1st day of January, 2023 with a view to upgrade the minimum energy performance level of such storage type electric water heater”.

[F. No. 10/7/2022-EC]

AJAY TEWARI Addl. Secy.

Note: The Energy Conservation Act, 2001 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 2902(E), dated the 8th September, 2016 and subsequently amended vide notification number S.O.1385 (E) dated the 2nd May, 2017, S.O. 6308(E), dated the 24th December, 2018, S.O. 4486(E), dated the 10th December, 2020 and S.O. 4208 (E) dated 11th October 2021.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 344]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 8, 2016/भाद्र 17, 1938

No. 344]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 8, 2016/BHADRA 17, 1938

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2016

सं. बीईई/एस एण्ड एल/वॉटर हीटर/3/2015-16.—प्रारूप विनियमों, अर्थात् ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्टेशनरी भंडारण प्रकार के विद्युत् जल हीटर पर प्रदर्शन के विवरण और विधि) विनियम, 2016, 4 जनवरी, 2016 को अधिसूचना संख्या बीईई/एस एण्ड एल/वॉटर हीटर/3 द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन यथा: अपेक्षित उन व्यक्तियों से, राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के अंदर आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए हैं; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है;

और उक्त प्रारूप विनियमों की प्रतियां जनता के लिए 4 जनवरी 2016 को उपलब्ध कराई गई थी;

और इस विषय में प्राप्त सुझावों पर विचार किया गया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ब्यूरो उक्त अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (2) खण्ड (i) के साथ पठित धारा 14 के खण्ड (घ) और धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (ढ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (भंडार किस्म के जल हीटर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति), विनियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा.—(1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 अभिप्रेत है;
- (ख) "प्ररूप" से इन विनियमों से उपाबंध प्ररूप अभिप्रेत है;
- (ग) "लेबल" से जल के हीटर पर चिपकाया गया या प्रदर्शित लिखित, मुद्रित, चिह्नित, मुहर लगी या ग्राफिक सामग्री अभिप्रेत है;
- (घ) "लेबल अवधि" से अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ऊर्जा हानि मानक के अधीन स्थायी हानि की विधिमान्यता अवधि अभिप्रेत है और यदि स्थायी हानि की विधिमान्यता की अवधि की अंतिम अवधि विनिर्दिष्ट नहीं की गई है, इस अवधि को केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट नए मूल्यों तक विधिमान्य मानी जाएगी;
- (ङ) "मॉडल या मॉडलों के परिवार" से किसी विशिष्ट ब्राण्ड का मॉडल या मॉडलों की श्रेणी है जिसके संबंध में परीक्षण रिपोर्टों का एकल समुच्चय लागू है और जहां प्रत्येक मॉडल के समान भौतिक लक्षण, स्थायी हानि, ऊर्जा कुशलता स्तर और निष्पादन विशिष्टताएं समान अभिप्रेत हैं;
- (च) "अनुज्ञाधारक" से ऐसे व्यक्ति या अभिकरण से है जिसे विनियम 7 के अधीन लेबल चिपकाने के लिए अनुज्ञा दी गई अभिप्रेत है;
- (छ) "स्टार रेटिंग या स्टार स्तर से जल हीटर की ऊर्जा निष्पाद को ध्योतित करने के लिए अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित विद्युत भंडारण जल हीटरों के स्तर पर प्रदर्शित स्थायी हानि (कि. वा. घं. / 24 घंटे / 45 से) की श्रेणी अभिप्रेत है।
- (ज) "व्यापारी या विक्रेता" से ऐसा व्यक्ति जो जल हीटर की बिक्री या वितरण करता है और जिसके अंतर्गत ऐसे दुकानदार, व्यापारी, विनिर्माता और जल हीटर पर लेबल चिपकाने के लिए अनुमति प्राप्त अनुज्ञाधारक अभिप्रेत है।
- (झ) "जल के हीटर" से अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (ख) के अधीन अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट साधित्र है।

(2) यहां इसमें प्रयुक्त जो शब्द और अभिव्यक्तियां अपरिभाषित हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका अधिनियम में उन्हें क्रमशः दिया गया अर्थ ही होगा।

3. लेबल पर प्रदर्शित किए जाने वाली विशिष्टियां.—(1) प्रत्येक जल के हीटर पर, इसके लेबल पर निम्नलिखित विशिष्टियां प्रदर्शित की जाएगी, अर्थात्:-

- (क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का प्रतीक चिह्न;
- (ख) उपकरण;
- (ग) ब्रांड का नाम;
- (घ) विनिर्माण या आयात का मॉडल का नाम, संख्या और वर्ष;
- (ङ) रेटेड क्षमता (लीटर);
- (च) रेटेड इनपुट पावर (कि. वा. घं.) (वास्तविक जांच)
- (छ) स्थायी हानि (कि. वा. घं. / 24 घंटे / 45 डिग्री से.);
- (ज) लेबल की अवधि;
- (झ) स्टार स्तर; और
- (ञ) विशेष श्रृंखला कोड;

(2) लेबल का डिजाइन, रंग, आकार और अंतर्विष्ट इन विनियमों के साथ उपाबंध अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होगा।

4. लेबलों के संप्रदर्श के लिए समय-सीमा.—(1) विनियम 3 में विनिर्दिष्ट सभी विशिष्टियों वाला लेबल इन विनियमनों के लागू होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर प्रत्येक जल के हीटर पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन लागू संशोधित ऊर्जा हानि मानकों के प्रारंभ होने पर और प्रारंभ होने से, प्रत्येक अनुज्ञाधारक या व्यापारी या विक्रेता सुनिश्चित करेगा कि —

- क) विक्रय हेतु रखे गए जल हीटर, संशोधित ऊर्जा उपभोग मानकों के साथ सम्कालिक होते हुए संशोधित स्टार लेबल और संशोधित लेबल अवधि दर्शायेगा और जल हीटर का विनिर्माण वर्ष भी ऐसे संशोधित ऊर्जा उपभोग मानकों के समकालीन होगा, और जल हीटर का निर्माण पूर्ववर्ती ऊर्जा उपभोग मानकों के साथ नहीं करेगा।
- ख) व्यावहारिक, खुदरा व्यापारियों को जानकारी देने के लिए उनकी जागरूकता के साथ ही उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए अपेक्षित प्रचार-प्रसार सहित सभी प्रारंभिक उपाय इन विनियमों के अधीन ऐसे प्रारंभ की तारीख से छह माह पूर्व नियोजित किए जाएंगे।

5. लेबल प्रदर्शित करने की रीति.—(1) इकाई के सामने वाले सम्प्रदर्श पर लेबल लगाया जाएगा और यह विनियम 3 के उपविनियम (2) में सरलता से दिखाई देना चाहिए और अनुज्ञाधारक सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत इकाई या मॉडल पर पहचान के प्रयोजन के लिए सम्प्रदर्श में लेबल बिक्री या किराए के बिंदु पर दिखाई देता है और यह लेबल इकाई या मॉडल सहित केसिंग के बाहर मुद्रित या चिपकाया गया होगा।

(2) प्रदर्शित नहीं की गई इकाइयों के लिए लेबल इकाई या मॉडल सहित केसिंग के बाहर मुद्रित या चिपकाया जाए और यह लेबल इकाई या मॉडल पर लगाया जाए, जब इकाई या मॉडल को इसकी पैकिंग से बाहर निकाला जाता है या लेबल को ग्राहक या प्रयोक्ता को दिए जाने वाले दस्तावेज के भाग के रूप में सम्मिलित किया जाए।

6. लेबल संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा.—(1) ब्यूरो की पूर्व अनुज्ञा के बिना विद्युत् जल के हीटर पर कोई स्टार नहीं चिपकाया जाएगा।

(2) उप- विनियम (1) के अधीन ब्यूरो की अनुज्ञा लेने के प्रयोजन के लिए, आवेदन प्ररूप - I में और इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में किया जाएगा:

परंतु जल के हीटर के प्रत्येक मॉडल के परिवार के लिए पृथक आवेदन किया जाए;

(3) उप- विनियम (2) के अधीन प्रत्येक आवेदन- पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे —

- (क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में दो हजार रुपए का आवेदन फीस अथवा भुगतान के किसी प्रतिग्राह्य इलेक्ट्रॉनिक ढंग में देय होगा;
- (ख) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में देय एक लाख रुपए की लेबल जमानत राशि; मांग पत्र या भुगतान के किसी प्रतिग्राह्य इलेक्ट्रॉनिक ढंग में;
- परंतु, लघु उद्योग के मामले में, जमानत राशि केवल पच्चीस हजार रुपए होगी-; और
- (ग) यथा: विनिर्दिष्ट दस्तावेज प्ररूप।

7. अनुज्ञा प्रदान करना.—(1) विनियम 6 के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर और इससे संतुष्ट होने पर कि इसमें दी गई सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है, ब्यूरो ऐसी प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर, विनियम 8 में यथा: विनिर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों के अधीन जल के हीटर पर प्ररूप-2 या इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में लेबल चिपकाने के लिए अनुज्ञा प्रदान कर सकता है।

(2) ब्यूरो, प्ररूप -3 में रजिस्टर बनाकर रखेगा और इसमें अनुज्ञाधारक के नाम प्रविष्ट करेगा, जिसके एक डेटा बेस का भी रखरखाव किया जाएगा।

(3) उप- विनियम (1) के अधीन इस प्रकार प्रदत्त अनुज्ञा उस अवधि तक विधिमान्य होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन यथा: अधिसूचित ऊर्जा हानि मानक द्वारा स्टार स्तर के लिए विनिर्दिष्ट की गई है।

(4) अनुज्ञाधारक द्वारा अनुज्ञा के नवीकरण के लिए आवेदन छह मास के भीतर किंतु इस अवधि की समाप्ति से तीन मास पूर्व किया जाएगा। ऐसा आवेदन, अनुज्ञा की समाप्ति से कम से कम तीन मास पूर्व किया जाएगा और इसके साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में मांग पत्र के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक ढंग में एक हजार रुपए का देय फीस होना चाहिए।

(5) विधिमान्यता की अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी आवेदन का नवीकरण नहीं किया जाएगा और अनुज्ञाधारक को नया आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(6) उप- विनियम (4) के अधीन नवीकरण के लिए, आवेदन-पत्र मिलने पर और सभी अपेक्षाओं का अनुपालन होने के संबंध में समाधान होने पर, ब्यूरो ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर प्ररूप-2 में अनुज्ञा का नवीकरण कर सकता है।

(7) जो अनुज्ञाधारक उस तारीख से जल के हीटर के मौजूदा मॉडल पर लेबल चिपकाने को जारी रखने की अनुज्ञा की मांग करता है, जिस तारीख से संशोधित स्टार स्तर लागू हुआ है, केवल प्ररूप 4 में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा।

(8) यदि विद्युत् जल के हीटर के नए मॉडल की योजना संशोधित स्टार स्तर के साथ समक्रमण कर शुरू करने की है तो अनुज्ञाधारक को नया लेबल चिपकाने की अनुज्ञा लेना और ऐसी अनुज्ञा के लिए आवेदन संशोधित स्टार स्तर के लागू होने से छह मास पूर्व किया जाए।

8. लेबल पर विशिष्टियां प्रदर्शित करने के लिए निबंधन और शर्तें.—प्रत्येक अनुज्ञाधारक और व्यापारी और विक्रेता निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों का पालन करेगा, अर्थात:-

- (क) जल के हीटर के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार अधिसूचित जल के हीटर के लिए ऊर्जा हानि मानकों के अनुरूप होंगे।
- (ख) यह लेबल जल के हीटर के ऐसे मॉडलों पर ही चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा प्रदान की गई है।
- (ग) लेबल को अनुज्ञाधारक की लागत पर मुद्रित और जल के हीटर पर चिपकाया जाएगा।
- (घ) अनुज्ञाधारक, व्यापारी और विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि जल के हीटर पर लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर हर समय बना रहेगा।
- (ङ) अनुज्ञाधारक विनियम 9 में यथा: विनिर्दिष्ट लेबल फीस का भुगतान करेगा।

- (च) अनुज्ञाधारक ब्यूरो को विशिष्टियां देय करेगा जिसमें लेबल लगे उपस्करों को बनाने का ब्यौरा और वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में निम्नलिखित मास के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए देय प्रोद्भूत लेबलिंग फीस की विशिष्टियां हो।
- (छ) अनुज्ञाधारक, ब्यूरो को अपने लेबल लगे उत्पादों की बिक्री के लिए नियुक्त प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रैल या उससे पहले अधिकृत वितरकों, व्यापारियों और थोक विक्रेताओं एवं विक्रेताओं की सूची देगा।
- (ज) अनुज्ञाधारक, व्यापारी और विक्रेता ऐसे अन्य निबंधनों एवं शर्तों का पालन करेंगे जो ब्यूरो द्वारा, मानक और लेबलिंग के संबंध में ब्यूरो की निर्देशिका में अंतर्विष्ट निबंधनों और शर्तों सहित विनिर्दिष्ट किए गए हों।

9. लेबल फीस.—(1) प्रत्येक अनुज्ञाधारक, ब्यूरो को विद्युत् जल के हीटर पर प्रत्येक चिपकाए गए लेबल के लिए दो रुपए की फीस का भुगतान करेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट लेबल फीस, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से एक मास के भीतर वार्षिक तौर पर संदत्त किया जाएगा:

परंतु यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस के भुगतान में चूक पर, ब्यूरो विनियम 6 के उप-विनियम (3) के खण्ड (ख) के अधीन प्रतिभूति निक्षेप से इस पर दस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से इस पर ब्याज के साथ बकाया रकम वसूल करेगा और यदि इसे जमा किए जाने की अंतिम तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरा लेबलिंग शुल्क वसूल नहीं किया जाता, ब्यूरो अनुज्ञाधारक को प्रदत्त सभी अनुज्ञा रद्द कर सकता है और अनुज्ञाधारक का नाम व्यतिक्रमी के रूप में समाचार पत्र में प्रकाशित कर सकता है।

10. लेबल जमानत फीस का प्रतिदाय.—विनियम 9 के उप-विनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन, अनुज्ञाधारक विद्युत् जल के हीटर का विनिर्माण न करने पर लेबल जमानत फीस के प्रतिदाय का हकदार होगा।

11. ब्यूरो द्वारा सत्यापन.—(1) ब्यूरो अथवा इसकी नामनिर्दिष्ट अभिकरण, स्वयमेव अथवा इसे शिकायत प्राप्त होने पर, यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन करेगा कि जल के हीटर के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर और अन्य विशिष्टियों के अनुरूप है और कि यह अनुज्ञा के अन्य निबंधनों एवं शर्तों के अनुपालन में है।

(2) सत्यापन प्रयोजन के लिए, ब्यूरो या नामनिर्दिष्ट अभिकरण, विनिर्माता सुविधा या भण्डागार या फुटकर विक्रय केंद्र से, जैसा वह उचित समझे, यादृच्छिक तौर पर नमूने एकत्र करेगा।

(3) जहां उप-विनियम (1) के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर, ब्यूरो द्वारा जांच और अंशांकन प्रयोगशालाओं हेतु राष्ट्रीय परीक्षण प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा सम्यक प्रत्यायित स्वतंत्र प्रयोगशाला में जल के हीटर की जांच पर आक्षेप कर सत्यापन करना अपेक्षित है, वहां अनुज्ञाधारक को ऐसे परीक्षण के निष्पादन के लिए नोटिस जारी किया जाएगा और शिकायतकर्ता से ब्यूरो के पास परीक्षण, परिवहन संबंधी खर्च और अन्य आकस्मिक व्यय, ऐसी समयावधि में जमा कराने की मांग की जाएगी जो ब्यूरो द्वारा अवधारित की गई हो और यदि आक्षेप परीक्षण के अधीन लिए गए नमूने विफल रहते हैं, ब्यूरो को नमूने लेने, नमूने के परिवहन और जांच प्रभारों की लागत के लिए सभी व्यय की प्रतिपूर्ति अनुज्ञाधारक द्वारा की जाएगी और ब्यूरो उल्लिखित व्यय शिकायतकर्ता को प्रतिदाय करेगा और जहां उपस्कर आक्षेप परीक्षण पर पास हो जाते हैं, तब शिकायतकर्ता द्वारा जमा कराए गए व्यय जब्त कर लिए जाएंगे।

(4) जहां परीक्षण के लिए जल के हीटर के नमूने स्वयमेव परीक्षण अथवा आक्षेप परीक्षण के दौरान परीक्षण में असफल रहते हैं, वहां अनुज्ञाधारक को एक अन्य अवसर दिया जाएगा और ब्यूरो, अनुज्ञाधारक की लागत पर राष्ट्रीय परीक्षण

और अंशांकन प्रयोगशाला बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा सम्यक रूप से प्रत्यायित स्वतंत्र प्रयोगशाला में प्रथम जांच में प्रयुक्त जल के हीटर के दो गुने परिमाण में दूसरा परीक्षण करेगा;

(5) जहां, दूसरा परीक्षण असफल होता है, ब्यूरो,-

(क) प्ररूप 5 में अनुज्ञाधारक को सभी राज्य नामोद्दिष्ट अभिकरणों को निदेश देगा कि प्ररूप 5 के जारी होने की तारीख से अनुज्ञाधारक दो मास की अवधि के अंदर करेगा;

- i. विद्युत जल के हीटर के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर सही करेगा या परीक्षण के दौरान त्रुटियों और कमियों को दूर करेगा;
- ii. ब्यूरो के दिशा- निर्देशों के अनुपालन में बाजार से सभी स्टॉक को वापस लेगा; और
- iii. विज्ञापित सामग्री पर प्रदर्शित विशिष्टताएं में परिवर्तन करेगा;

(ख) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, ब्यूरो के अभिहित अभिकरण से जांच परिणामों की प्राप्ति की तारीख से, दो मास के भीतर अनुज्ञाधारक का नाम, ब्राण्ड का नाम, मॉडल का नाम या मॉडल संख्या, प्रतीक चिह्न और अन्य विनिर्देश किसी दैनिक राष्ट्रीय अथवा प्रादेशिक समाचारपत्र अथवा इलेक्ट्रॉनिक अथवा जो वह ठीक समझें किसी अन्य रीति से प्रकाशित करेगा;

(ग) संबंधित राज्य नामनिर्दिष्ट अभिकरण को अधिनियम, की धारा 27 के अधीन अनुज्ञाधारक और व्यापारी के विरुद्ध न्यायनिर्णयन कार्रवाई करने के लिए संसूचित करेगा।

(6) अनुज्ञाधारक उप-विनियम (5) में निर्दिष्ट दो मास की अवधि समाप्त होने के दस दिन के भीतर,-

(क) ब्यूरो को दिशा-निर्देश के अनुपालन में की गई कार्रवाई के संबंध में प्ररूप 6 में अनुपालन रिपोर्ट भेजेगा; और

(ख) यदि खण्ड (क) में निर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है या विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्देश का पालन किए बिना प्राप्त होती है, इसे जारी निर्देशों का अननुपालन माना जाएगा और ब्यूरो द्वारा इस प्रभाव के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

(7) ब्यूरो अधिनियम की धारा 17 के अधीन कार्रवाई करने और उक्त उप-नियम के खंड (ख) के अधीन पारित आदेशों के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए सभी राज्य अभिहित अभिकरणों को खंड (क) (ख) में निर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट और उप-विनियम (6) के खंड (ख) में जारी आदेशों की प्रति, आवश्यक दस्तावेजों सहित भेजेगा;

(8) जहां अनुज्ञाधारक, ब्यूरो द्वारा उप विनियम-(5) के तहत जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन में ता है असफल रह, वहां ब्यूरो सभी राज्य नामोद्दिष्ट अभिकरणों को सूचना देते हुए -

(क) विनियम 7 के उप विनियम-(1) के तहत अनुज्ञाधारक को प्रदत्त सम्मति वापस ले लेगा;

(ख) केन्द्रीय सरकार को, अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा हानि मानकों की अनुरूपता में अनुज्ञाधारक द्वारा विफलता की पुष्टि में परीक्षण रिपोर्ट के साथ, केन्द्रीय सरकार द्वारा

अधिनियम की धारा 14 के खंड (ग) के अधीन विचार करने और कार्रवाई करने के लिए उप-विनियम (6) के खंड (क) में निर्दिष्ट ब्यूरो की निर्देश रिपोर्ट भेजेगा।

(ग) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, दो मास के भीतर, किसी राष्ट्रीय या प्रादेशिक दैनिक समाचार पत्र में और किसी इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य रीति से जैसा ब्यूरो द्वारा ठीक समझे जाए, अनुज्ञाधारक का नाम, ब्रांड नाम, मॉडल का नाम या मॉडल संख्या, संप्रतीक और अन्य विनिर्देशन प्रकाशित करेगा;

(घ) संबंधित राज्य अभिहित अभिकरणों को अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञाधारक और व्यापारी के विरुद्ध आगे विधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए सूचित करेगा।

12. अनुज्ञा का रद्दकरण.—ब्यूरो, विनियम 7 के अधीन प्रदत्त अनुमति को रद्द कर सकता है, यदि अनुज्ञाधारक –
विनियम 7 के तहत विनिर्दिष्ट किसी नियम और शर्त का पालन नहीं करता;

(क) विनियम 8 के अधीन विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तों का अनुपालन नहीं करता;

(ख) विनियम 9 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस का संदाय नहीं करता;

(ग) विनियम 11 के तहत जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करता।

प्ररूप 1

[विनियम 6 के उप विनियम (2) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत भंडार किस्म के जल के हीटर (देशी और सामान उपयोग के लिए) के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2016 के अधीन विद्युत जल के हीटर पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन-पत्र

महा निदेशक
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)
चौथा तल, सेवा भवन,
सेक्टर – 1, आर. के. पुरम
नई दिल्ली – 110 066
भारत

मैं / हम _____ (व्यष्टिक या फर्म का पूरा नाम) _____ की
शैली के अधीन _____ (कारबार का पूरा पता) व्यवसाय करने के लिए विद्युत भंडार किस्म
के जल के हीटरों का/के विनिर्माता अथवा आयातक हूं / हैं जैसा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(जल के हीटर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2016 में ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट है,
जल के हीटरों पर प्रदर्शित करने / लगाने की अनुज्ञा पाने हेतु आवेदन करता हूं / करते हैं।

2. विनिर्माण सुविधा: उपरोक्त उपस्कर भारत में _____ (कंपनी का नाम) द्वारा विनिर्मित किया जाता है
और _____ (कारखाने का नाम और पता) में विनिर्मित किया जाता है या उपरोक्त उपकरण भारत के बाहर
_____ (कारखाने का नाम और पता) द्वारा विनिर्मित किया जाता है और भारत में _____ (कंपनी का नाम)
द्वारा बेचा जाता है।

3. व्यौरों के उपाबंध: उपस्कर, कंपनी, विनिर्माण सुविधा, परीक्षण उत्पादों के लिए प्रमाणन, लेबल और भुगतान की
बाबत विस्तृत विवरण प्ररूपके उपाबंध में दिया गया है। फर्म रजिस्ट्रार अथवा संस्थाओं/ उद्योग निदेशक (लघु इकाइयों के
मामले में) द्वारा जारी निगमन प्रमाणपत्र अथवा अन्य सद्दृश दस्तावेजों की प्रति संलग्न है जो फर्म का नाम और इसके
विनिर्माण परिसरों को अनुप्रमाणित करते हैं, संलग्न है।

क) प्राधिकृत व्यक्ति: _____ (नाम और पदनाम) कंपनी/ फर्म आदि की ओर से यह आवेदन करने के लिए प्राधिकृत है और वह इस आवेदन के साथ निमित्त कराई गई सूचना की सटीकता एवं अधिप्रमाणिकता के लिए उत्तरदायी होगा।

ख) संपर्क व्यक्ति: _____ (नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के संबंध में ब्यूरो के साथ समन्वय करने के लिए प्राधिकृत संपर्क व्यक्ति है।

ग) मैं/हम उपरोक्त (क) अथवा (ख) में परिभाषित प्राधिकृत व्यक्तियों में किसी परिवर्तन के बारे में ब्यूरो को तत्काल सूचित करने का वचनबद्ध देता हूँ/ देते हैं।

4. मानकों का अनुपालन: मैं/हम _____ (उपस्कर का नाम) के लिए _____ (अधिसूचना का नाम) के संबंध में अधिसूचना में यथा: विनिर्दिष्ट आईएस/अन्य (मानक का नाम और संख्या) _____ के अनुसार क्वालिटी प्रणाली/ अन्य मानकों के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो / अन्य अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करते हैं। संगठन और/ अथवा उपरोक्त उपकरण के संबंध में अनुज्ञप्ति/प्रमाणपत्र की फोटोप्रति संलग्न है।

मैंने/हमने, उपकरण की क्वालिटी की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अपनी आंतरिक प्रयोगशाला _____ अथवा एनएबीएल द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशाला _____ (प्रयोगशाला का नाम और पता) में परीक्षण के लिए व्यवस्था कर ली है।

स्वतंत्र प्रयोगशाला का ब्यौरा :

क) प्रत्यायन की प्रास्थिति:

ख) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का अनुमोदन :

5. मेरी/ हमारी जानकारी और अनुमान के अनुसार, उक्त उपकरण के उत्पादन और बिक्री संबंधी आंकड़े और इनका मूल्य निम्नानुसार हैं:

वर्ष	उत्पादन	बिक्री	उपस्कर का अधिकतम खुदरा मूल्य (रु.)
..... से तक अंतिम वर्ष			
..... से तक चालू वर्ष (प्राक्कलन)			

6. (क) मांग पत्र सं. _____ तारीख _____ / इलेक्ट्रॉनिक ढंग द्वारा दो हजार रुपए के आवेदन फीस और लागू सेवा कर _____ का संदाय कर दिया गया है।

(ख) मांग पत्र सं. _____ तारीख _____ / इलेक्ट्रॉनिक ढंग द्वारा एक लाख रुपए की लेबल प्रतिभूति जमा फीस का संदाय कर दिया गया है।

(ग) मैं/हम ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट दो रुपए प्रति लेबल के लेबलिंग फीस का भुगतान करने को सम्मति हूँ/हैं।

(घ) लघु पैमाने के उद्योग (एसएसआई) प्रमाणपत्र संलग्न है, जो पच्चीस हजार रुपए के लेबल प्रतिभूति फीस के रूप में पात्रता सिद्ध करने के लिए है।

7. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा कोई पूछताछ किए जाने की स्थिति में उसे आवश्यक सहायता/सहयोग देने को सम्मति हूँ/हैं।

8. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन के लिए नमूने का चयन करने और परीक्षण को चुनौती देने के लिए अधिकृत करता हूँ/करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने को सहमत हूँ/हैं।

[illegible]

2. कंपनी के ब्यौरे

कंपनी का नाम :	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं.	
फैक्स नं.	
ई-मेल	
वेबसाइट	

3. विनिर्माण परिसर के ब्यौरे

पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं.	
फैक्स नं.	
ई-मेल	
वेबसाइट	
अन्य कोई ब्यौरे	

4. जांच प्रयोगशाला के ब्यौरे

जांच प्रयोगशाला का नाम	
प्रत्यायन प्राप्ति (प्रत्यायन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
प्रत्यायन का सत्यापन (समर्थन दस्तावेज संग्रह करें)	
पता	

पिन कोड	
राज्य	
फोन नं.	
फैक्स नं.	
ई-मेल	
वेबसाइट	

5. लेबलिंग सूचना

प्रारंभ की तारीख	
बी ई ई के लिए प्रयुक्त लेबलों का नाम पहले वर्ष के लिए – दूसरे वर्ष के लिए – तीसरे वर्ष के लिए -	
उत्पाद श्रृंखला सं.	से तक.....

6. भुगतान के ब्यौरे

	कुल राशि	भुगतान के विवरण (डिमांड ड्राफ्ट के विवरण / इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के ब्यौरे)
आवेदन फीस		
प्रतिभूति निक्षेप		

तारीख

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

के लिए और उनकी ओर से

.....

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्ररूप II

[विनियम 7 के उप विनियम (1) और (6) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत भंडार किस्म के जल के हीटर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियमन,
2016 के अधीन विद्युत जल के हीटर पर लेबल लगाने की अनुज्ञा / अनुमति का नवीकरण

नई दिल्ली,

सेवा में,

.....
.....

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत भंडार किस्म के जल के हीटर पर लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और प्रविधि) विनियमन, 2016 के विनियम 7 के उपबन्धों के अनुसरण में, ब्यूरो आपको इस प्ररूप 2 के साथ अनुबंध में बताए गए अनुमोदनों के ब्यौरे के अनुसार लेबल लगाने की अनुमति प्रदान करता है।

2. यह अनुज्ञा निम्नलिखित के अधीन है —

- (क) अधिनियम के खंड (क) के अधीन अधिसूचित और पूर्वोक्त विनियमों में उपबंधित निबंधन और शर्तों के अनुसार विद्युत् जल हीटर के लेबल पर दर्शाया गया स्टार स्तर विद्युत् भंडार किस्म जल हीटर की ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप होगा।
- (ख) लेबल विद्युत जल के हीटर के उस मॉडल पर ही चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा प्रदान की गई है;
- (ग) लेबल, अनुज्ञाधारक की लागत पर मुद्रित और विद्युत जल के हीटर पर चिपकाया जाएगा;
- (घ) अनुज्ञाधारक यह सुनिश्चित करेगा कि विद्युत जल के हीटर पर प्रदर्शित स्टार स्तर हमेशा बना रहेगा और यह कम से कम लेबल की विधिमान्यता या उनके रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता या लेबल की विधिमान्यता तक जारी रहेगा;
- (ङ.) अनुज्ञाधारक प्रति लेबल दो रुपए फीस का संदाय करेगा;
- (च) अनुज्ञाधारक ब्यूरो को एक विवरण (हार्ड प्रति तथा मानक और लेबलिंग ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से) प्रस्तुत करेगा जिसमें लेबल धारक उपस्कर के उत्पादन और वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत से तीस दिन की समय अवधि के अंदर प्रत्येक तिमाही के लिए प्रोद्भूत लेबलिंग फीस का विवरण होगा। यह विवरण ब्यूरो को स्वचालित प्रणालियों के माध्यम से भी प्रदान की जाएगी;
- (छ) अनुज्ञाधारक विद्युत जल के हीटर के संबंध में अन्य विवरण, जिसके लिए अनुमति प्रदान की गई है, जैसे और जब भी ब्यूरो द्वारा मांगा जाता है, भी उपलब्ध करेगा।

3. यह अनुज्ञा से तक मान्य होगी और विनिर्देशों के अनुसार इसका नवीकरण कराया जा सकता है। यदि अनुज्ञाधारक, अनुमति की विधिमान्यता अवधि के दौरान लेबल युक्त उत्पाद को बाजार से हटाना चाहता है, तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से हटाए जाने वाले मॉडल के विषय में एक संप्रेषण किया जाएगा और इस संप्रेषण में जल के हीटर की संख्या तथा इसे हटाने के कारण शामिल होने चाहिए।

4. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा उपकरण के लिए दी गई विशेष लेबल श्रृंखला है और अनुमोदित डिजाइन के अनुसार यह लेबल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।

5. जब कभी ब्यूरो द्वारा समीक्षाधीन स्टार स्तर योजना में आशोधन किया गया है, विद्युत जल के हीटर का स्टार स्तर निम्नानुसार उपांतरित होगा:-

- (क) यदि संशोधित स्टार स्तर के सामंजस्य में नया मॉडल शुरू किया जाता है, ऐसी अनुमति के लिए ब्यूरो के पास उस तारीख से छह मास अग्रिम में आवेदन किया जाए जिस तारीख से नए स्टार स्तर लागू होंगे;
- (ख) जहां परिवर्तित स्टार स्तर लागू करने के लिए मौजूदा मॉडल को जारी रखा जाता है, ब्यूरो के पास प्ररूप 4 में घोषणा ही प्रस्तुत की जाएगी।

6.तारीखमास..... वर्ष को हस्ताक्षरित, मुहरबंद और दिनांकित

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध
(प्ररूप 2 का पैरा 1 देखें)
अनुमोदन के ब्यौरे

1. उपस्कर के ब्यौरे

उपस्कर और प्रकार	
ब्रांड	
मॉडल का नाम / नंबर	
रेटेड क्षमता (लीटर)	
रेटेड इनपुट पावर (वॉट)	
विनिर्माण का वर्ष	

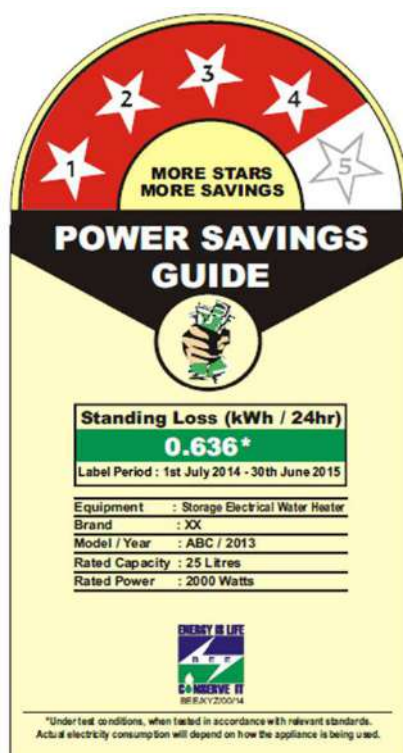
क्र. सं.	मॉडल का नाम / नंबर	माप मूल्य				घोषित मूल्य				टिप्पणियां
		क्षमता (लीटर)	इनपुट पावर (वॉट)	स्थायी हानि (कि. वॉ. घं. / 24 घंटे / 45° से)	स्टार लेबल या ऊर्जा दक्षता स्तर	रेटेड क्षमता (लीटर)	रेटेड इनपुट पावर (वॉट)	स्थायी हानि (कि. वॉ. घं. / 24 घंटे / 45° से)	स्टार लेबल या ऊर्जा दक्षता स्तर	

2. लेबल के ब्यौरे

उपस्कर	
प्रकार	
विनिर्माता / आयातक / ब्रांड का नाम	

मॉडल का नाम / नंबर	
विनिर्माण का वर्ष	
रेटेड क्षमता (लीटर)	
रेटेड इनपुट पावर (वॉट)	
स्थायी हानि (कि. वॉ. घं. /24 घंटे)	
स्टार लेवल	
लेबल की अवधि	

3. विद्युत जल के हीटर पर लगाया जाने वाला ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विधिवत अनुमोदित लेबल का नमूना, जो नीचे दर्शाया गया है।



पत्र में दी गई विशिष्ट लेबल सीरीज कोड का उल्लेख विद्युत जल के हीटर पर लगाए गए लेबल में किया जाता है।

4. लेबल के लिए उपयोग की जाने वाली डिजाइन, आकार, रंग योजना, सामग्री और सामग्री अनुसूची में निर्दिष्ट रूप में ब्यूरो के संप्रतीक (लोगो) में लेबल और रंग योजना का उल्लेख किया जाएगा।

तारीख

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्ररूप 3**(विनियम 7 के उप नियम (2) और (3) देखें)****ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा रखे जाने वाले अनुज्ञाधारकों के रजिस्टर (टेम्पलेट)**

क्र. सं.	आवेदन सं. और अनुज्ञा की तारीख	अनुज्ञाधारकों का नाम और विवरण (संपर्क व्यक्ति, पता, पिन कोड, राज्य, फोन सं., फैक्स नं., ई-मेल, वेबसाइट)	उपकरण के ब्यौरे जिनकी अनुमति प्रदान की गई है	स्टार लेबल या दक्षता स्तर की घोषणा	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की अनुमति संख्या और यूनिक लेबल श्रृंखला	अवधि जिसमें अनुज्ञा प्रदान की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

लेबल प्रतिभूति निक्षेप की राशि	(रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट (विवरण) / इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार (ब्यौरे) : तारीख) से प्राप्त की लेबल प्रतिभूति जमा	प्राप्त आवेदन फीस का मूल्य	(रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट (विवरण) / इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार (ब्यौरे) : तिथि:) से प्राप्त आवेदन शुल्क की राशि के विवरण
(8)	(9)	(10)	(11)

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान लगाए गए लेबलों की कुल संख्या	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लिए संदेय फीस के लेबलिंग की राशि	प्रत्येक वित्तीय वर्ष (रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट (विवरण) / इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन (ब्यौरे) : तारीख) के लिए प्राप्त विवरण के लेबलिंग फीस	टिप्पणियां
(12)	(13)	(14)	(15)

प्ररूप 4**[विनियम 7 का उप- विनियम (7) देखें]**

अनुज्ञाधारक द्वारा विद्यमान मॉडल पर लेबल चिपकाने को जारी रखने की मांग करते हुए घोषणा
(प्रत्येक भिन्न मॉडल के लिए, संबंधित अनुबंध सहित एक पृथक पत्र प्रस्तुत किया जाएगा)
(लेबल के निगम निकाय / प्रयोक्ता के लेटर हैड पर)

तारीख:

सेवा में,
महा निदेशक
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)
चौथा तल, सेवा भवन,
सेक्टर – 1, आर. के. पुरम
नई दिल्ली – 110 066
भारत

विषय : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत भंडार किस्म के जल के हीटर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियमन, 2016 के माध्यम से लागू स्टार स्तर में परिवर्तन के संबंध में लेबल चिपकाने की अनुमति के लिए आवेदन- पत्र।

1. मैं/हम [व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम] की शैली में [कंपनी का नाम, पूरे पते सहित] में कारबार करने वाला/वाले विद्युत जल के हीटर का/के विनिर्माता/ आयातक हूं/ हैं और एतद्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (देशी तथा समान उपयोग के लिए 200 लीटर तक के विद्युत भंडार किस्म के जल के हीटर पर उनका लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और विशिष्टियां) विनियमन, 2016 में ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट विद्युत जल के हीटर पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं, जिसमें..... से स्टार स्तर में पुनरीक्षण होगा।
2. उपरोक्त उपस्कर [व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम] द्वारा विनिर्मित है और इसका (कारखाने का नाम और पता) में विनिर्माण किया गया है अथवा (आयातक का नाम और पता) से आयात किया गया है
3. नए स्टार स्तर के अनुरूप: मैं/हम विद्युत जल के हीटर के लिए अधिसूचना सं.एस ओ तारीख (तारीख) को स्वीकार करते हैं। उपरोक्त उपकरण के संबंध में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुमोदन की छायाप्रति (जिसे पूर्व में अनुमोदित किया गया था) संलग्न है।
4. विद्युत जल के हीटर के संबंध में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो लेबल (स्टार स्तर परिवर्तन के पुनरीक्षण के अनुसार) की छायाप्रति संलग्न है।
5. स्टार स्तर के संशोधन के अनुसार उपस्कर /मॉडल का ब्यौरा।

मॉडल का नाम -

विशिष्टियां	घोषित मान	
रेटेड क्षमता (लीटर)	--	
रेटेड इनपुट पावर (वॉट)	--	
स्थायी हानि (कि. वॉ. घं. / 24 घंटे / 45° से)	--	
स्टार रेटिंग	(विद्यमान स्टार लेवल के अनुसार)	(संशोधित स्टार लेवल के अनुसार)

6. मैं / हम संशोधित स्टार लेबल स्तर की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में जमा किए गए सभी दस्तावेजों में अपने स्टार लेबल में स्थायी हानि के विद्यमान स्तर को परिवर्तित करने को सहमत हूं/हैं।
7. मैंने उक्त विद्युत् जल हीटर के लिए अभी तक तिमाही उत्पादन आंकड़े और लेबलिंग फीस जमा करा दिया है।
8. मैं/हम, ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और यदि ब्यूरो द्वारा कोई पूछताछ की जाती है, उसे आवश्यक सहायता/ सहयोग देने को सहमत हूं/हैं।
9. मैं/हम, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन करने और जांच को चुनौती देने के लिए नमूने का चयन करने पर आपत्ति उठाने का कोई अधिकार नहीं है और इस संबंध में ब्यूरो के दिशा-निर्देशों का पालन करने को सहमत हूं/हैं।

10. मैं/हम यह वचनबंध देता हूँ/ देते हैं कि इस आवेदन - पत्र में प्रदान की गई सूचना मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है और यदि इसमें दी गई कोई सूचना गलत पाई जाती है, आवेदन को तत्काल अस्वीकृत किया जा सकता है।

तारीख:

दिन (वर्ष)
हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
के लिए और उनकी ओर से
(फर्म का नाम)
फर्म की मुहर

प्ररूप 5

[विनियम 11 का उप- विनियम (5) का खण्ड (क) देखें]

अनुज्ञाधारक को दूसरे नमूने के जांच परीक्षण में विफल रहने पर निदेश

नई दिल्ली, तारीख

सेवा में

.....
.....

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत भंडार किस्म के जल के हीटर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियमन, 2016 के अनुसरण में विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में आपको इसमें विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करने की शर्त पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के तारीख.....के पत्रांक..... के जरिए पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा दी गई थी।

2. ब्यूरो द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत भंडार किस्म के जल के हीटर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियमन, 2016 के विनियम के अधीन आपके अधिकृत वितरक, डीलर, खुदरा व्यापारी सेरुपए की कीमत की तारीख की बीजक संख्या के जरिए लेबल पर प्रदर्शित विवरणों के सत्यापन के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो स्टार के लेबल वाला विद्युत् जल हीटर खरीदा गया था। ये नमूने ब्यूरो द्वारा नियुक्त एजेंसी, मैसर्स..... द्वारा तारीख..... को उपरोक्त उल्लिखित विनियम के विनियम 3 के तहत लेबल, जो उल्लिखित खरीदे गए विद्युत् जल के हीटर पर आपके द्वारा चिपकाया गया था, खरीदे गए थे। इन नमूनों को मैसर्स से विशिष्ट पहचान श्रृंखला सं. मैसर्स का विधिवत मुहरबंद नमूना, मैसर्स(वितरक, ब्यौहारी, खुदरा व्यापारी का नाम) से, सत्यापन अभिकरण के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर सहित प्राप्त किया गया था।

3. ब्यूरो ने अपनी उल्लिखित सत्यापन अभिकरण के माध्यम से पैरा 2 में संदर्भित नमूना मैसर्स....., एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला को एस.ओ. संख्या..... तारीख के पैराग्राफ 3 और 4 में दी गई जांच प्रक्रिया के अनुसार, एस.ओ. संख्या..... तारीख के अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र..... के अनुसार जांच रिपोर्ट देने के लिए जांच करने के लिए भेजा था।

4. विशेष पहचान श्रृंखला संख्या वाले नमूने की जांच रिपोर्ट के परिणाम संलग्न हैं। जांच रिपोर्ट के परिणाम दर्शाते हैं कि नमूने वाले विद्युत् जल के हीटर की स्थायी हानि (कि. वाट घं. / 24 घं. / 45⁰ से.) को पूरा करने में विफल रहे और यह आपके द्वारा विनिर्मित/ आयातित विद्युत् जल हीटर के संबंध में लेबल चिपकाने के लिए मांगी गई अनुमति के लिए आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्ररूप 1 में आपके द्वारा मुहैया कराए गए जांच के ब्यौरे की पुष्टि नहीं करते। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के तारीख के पत्रांक के जरिये जांच के परिणाम आपके अधिकृत संपर्क व्यक्ति के नाम में आपको भेज दिए गए थे। आपसे अनुरोध किया जाता था कि एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला मैसर्स में नमूनों के दूसरे जांच सत्यापन परीक्षण में भाग लें।

5. हमारी अधिकृत अभिकरण मैसर्स के जरिए तारीख दूसरे जांच सत्यापन परीक्षण के लिए का. आ. सं. ... के पैरा 4 के अनुसार नमूने उठाकर हमारी अधिकृत अभिकरण मैसर्स द्वारा विधिवत मुहरबंद कर एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला में भेजे गए थे और सत्यापन एजेंसी के सम्यक अधिकृत प्रतिनिधि के साथ-साथ आपके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षराधीन से प्राप्त उक्त नमूनों पर उत्कीर्ण विशेष पहचान श्रृंखला संख्या दी गई थी।

6. दूसरे जांच सत्यापन परीक्षण के परिणाम संलग्न हैं जिनकी एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला के सक्षम अधिकृत कार्मिक द्वारा जांच की गई है और जिनके संबंध में प्रतिहस्ताक्षर किए गए हैं। जांच रिपोर्ट पर दूसरे जांच परीक्षण के साक्ष्य के तौर पर आपके हस्ताक्षरकर्ता द्वारा भी सम्यक हस्ताक्षर किए गए हैं। जांच परिणामों से पुष्टि होती है कि ये एस.ओ. संख्या तारीख में दिए गए अपेक्षित मानदण्डों और मानकों और आपको बाजार में विनिर्मित/आयातित एवं बिक्री किए गए विद्युत् जल हीटर पर लगे लेबल पर दिए गए विवरण को दर्शाने के लिए आपको दी गई अनुमति के नियमों और शर्तों को पूरा नहीं करते।

7. अतः, अब ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्थिर भंडारकरण प्रकार के विद्युत् जल हीटर पर लेबल प्रदर्शित करने की विशिष्टियां और रीति) विनियमन, 2016 के विनियम (4) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, ब्यूरो निदेश देता है:-

- (i) विद्युत् जल हीटर के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर को सही करें अथवा जांच के दौरान पाई गई त्रुटियों और कमियों को दूर करें;
- (ii) ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लें; और
- (iii) विज्ञापन की सामग्री में प्रदर्शित किए गए विशिष्टियों में परिवर्तन करें।

8. आपको निदेश दिया जाता है कि इस पत्र के जारी किए जाने की तारीख से दो मास के भीतर उल्लिखित सुधारात्मक कार्रवाई पूरी करें और दो मास की समाप्ति के बाद 10 दिन के भीतर अर्थात् तक प्ररूप VI में अनुपालन रिपोर्ट भेजें। यदि उक्त तारीख तक कोई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती, ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्थिर भंडारकरण प्रकार के विद्युत् जल हीटर पर लेबल प्रदर्शित करने की विशिष्टियां और रीति) विनियमन, 2016 के विनियम 11 के उप-विनियम (5) के खण्ड (ख) की शर्तों के अनुसार कार्रवाई करेगा।

9. ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत भंडार किस्म के जल के हीटर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2016 के विनियम 11 के उप-विनियम (4), (5), (6), (7) और (8) की निबंधनों के अनुसार, मामले में और आगे कार्रवाई करेगा।

सचिव,
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संलग्नक :

1. विफल मॉडल की परीक्षण रिपोर्ट
2. विनिर्माता के साथ पत्राचार

प्ररूप VI

(विनियम 11 के उप नियम (6) के खण्ड (क) देखें)

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

(संगठन के शीर्षनामा पर प्रस्तुत करना)

सेवा में,

तिथि

सचिव

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर - 1, आर. के. पुरम

नई दिल्ली - 110 066

भारत

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्थिर भंडारकरण प्रकार के विद्युत् जल हीटर पर लेबल प्रदर्शित करने की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2016 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसार, हमें मे. विद्युत् जल हीटर के विनिर्माता की ऊर्जा की हानि मानक के अनुरूप ऊर्जा दक्षता ब्यूरो पत्र सं..... तारीख के लिए मॉडल संख्या द्वारा स्टार लेवल के विद्युत् जल हीटर पर लेबल लगाने की अनुमति दी गई थी।

विनियम, 2016 (विद्युत भंडार किस्म के जल के हीटर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के नियमन 11 के उप-विनियम (5) के उपबंधों के अनुसार, हम आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए बीईई पत्र संख्या तारीख..... द्वारा निर्देश दिया गया। बीईई द्वारा जारी किए गए निर्देश के आलोक में, हम इसके द्वारा घोषित करते हैं कि हमारी ओर से निम्न गतिविधियों को किया गया है।

	कार्रवाई का निदेश	प्रास्थिति	की गई कार्रवाई
(i)	ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के साथ विद्युत् जल हीटर के स्तर पर प्रदर्शित सही स्टार स्तर	हां / नहीं / लागू नहीं	स्टार स्तर (तिथि) से प्रभावी स्टारसे स्टारतक सही किया गया है।
(ii)	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के साथ बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लें और	हां / नहीं / लागू नहीं	बाजार से सभी स्टॉक को ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के साथ वापस ले लिया गया है।
(iii)	विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित ब्यूरो बदलें।	हां / नहीं / लागू नहीं	हां / नहीं / लागू नहीं

उपरोक्त दी गई घोषणा हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

के लिए और उनकी ओर से

कंपनी का नाम / फर्म आदि

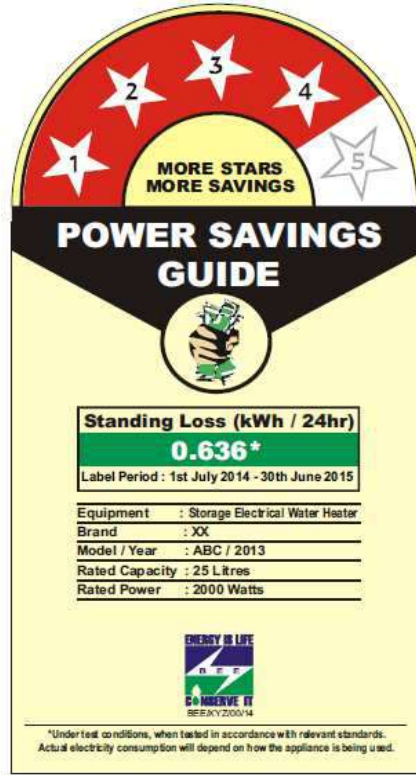
फर्म / कंपनी की मुहर

अनुसूची

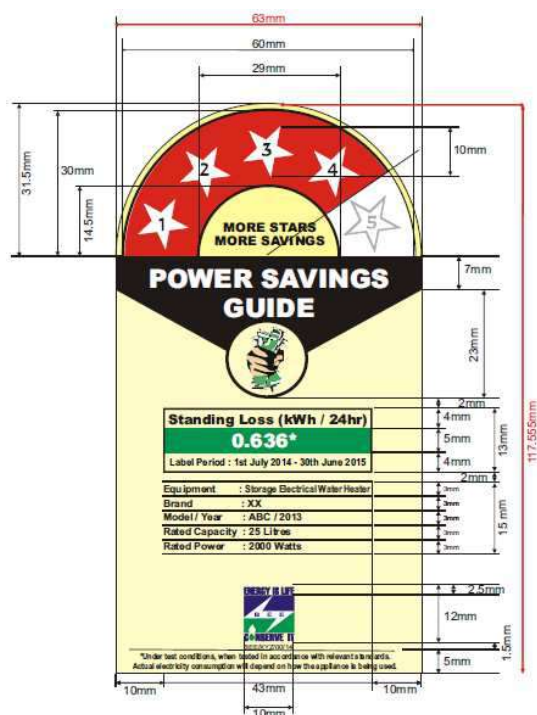
विनियम 3 के उप नियम (2) देखें)

विद्युत् जल हीटर के लेबलों पर प्रदर्शित किए विशिष्टियां

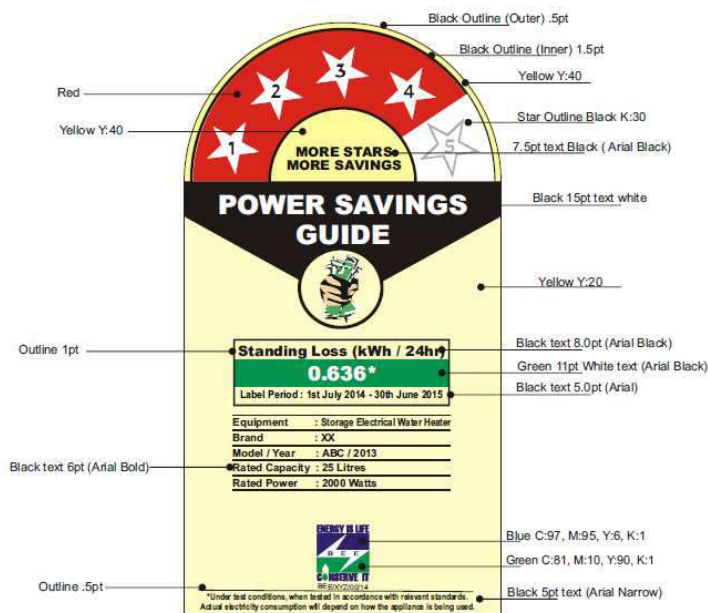
(1) नमूना लेबल



(i) आयाम :



(ii) रंग योजना :



(iii) बी ई ई लोगो की रंग योजना :

नीला -

ह्यू (H)-239° सेचुरेशन (S):64% ब्राइटनेस(B):59%

ल्यूमिनेंस या लाइटनेस (L) :28, क्रोमेटिक पुर्जे -a:24 b:54

लाल (R):54 हरा(G):55 नीला(B):151

सियान (C):97% मैजेंटा (M):95% पीला (Y):6% काला(K):1%

वेब कलर कोड - #363797

हरा -

ह्यू (H)- 150° सेचुरेशन (S): 10% ब्राइटनेस(B): 67%

ल्यूमिनेंस या लाइटनेस (L) : 61, क्रोमेटिक पुर्जे -a: 53 b:32

लाल (R): 0 हरा(G): 170 नीला(B): 87

सियान (C): 81% मैजेंटा (M): 10% पीला (Y): 90% काला (K): 1%

वेब कलर कोड - #00AA56;

(2). लेबल सामग्री

लेबल टिकाऊ (गत्ते या धातु का) होना चाहिए और इसमें टूट फूट से बचाव की विशेषता और अपने आप चिपकने वाला होना चाहिए। इसे उपस्कर की सतह पर अच्छी तरह चिपकाया जाए। लेबल की डिजाइन और आयाम इन विनियमों में बताए गए नमूना लेबल में से एक प्रकार का हो सकता है।

बी. पी. पांडे, महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

[विज्ञापन-III/4/असा./232(185)]

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2016

No. BEE/S&L/Water Heater/3/2015-16.—Whereas the draft regulations namely, the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Stationary Storage Type Electric Water Heater) Regulations, 2016 were published *vide* notification number BEE/S&L/Water Heater/3 dated the 4th January, 2016, as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from persons likely to be affected thereby within the specified period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas copies of the said draft regulations were made available to the public on 4th January 2016;

And whereas the suggestions received in this regard have been taken in to consideration;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 58 read with clause (n) of sub-section (2) of section 13 and clause (d) of section 14 of the said Act, the Bureau, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Stationary Storage Type Electric Water Heater) Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Act” means the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001);
- (b) “Form” means a form appended to these regulations;
- (c) “label” means any written, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to, or appearing upon, water heater;
- (d) “label period” means the validity period of the standing loss under energy consumption standard specified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act and in case the end period of the validity period of the standing loss is not specified, it shall be deemed to be valid until new values for the same are specified by the Central Government;
- (e) “models or family of models” means the model or range of models of one particular brand, to which a single set of test reports is applicable and where each of the models has the same physical characteristics, standing loss value, energy efficiency rating and performance characteristics;

- (f) “permittee” means a person or agency to whom permission has been granted to affix label under regulation 7;
- (g) “star rating or star level” means the grade of standing loss (kWh/24hr/45⁰C) displayed on the label of the electric storage water heaters notified under clause (a) of section 14 of the Act to denote the energy performance of water heater;
- (h) “trader or seller” in relation to any labeled water heater means a person who sells or distributes any such water heater and includes trader, manufacturer and permittee given permission to affix label on such water heater;
- (i) “water heater” means an appliance as specified in the notification under clause (b) of section 14 of the Act.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act.

3. Particulars to be displayed on label.—(1) On every water heater, the following particulars shall be displayed on its label, namely:-

- (a) the logo of Bureau of Energy Efficiency;
- (b) equipment;
- (c) brand name;
- (d) model name, number and year of manufacturing or import;
- (e) rated capacity (Litre);
- (f) rated input power (kW) (Actual Tested);
- (g) standing loss (kWh/24 hr/45⁰C);
- (h) label period;
- (i) star level; and
- (j) unique series code.

(2) The design, colour, size and content of label shall be as specified in the Schedule annexed to these regulations.

4. Time limit for display of labels.—(1) A label containing all the particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every water heater within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.

(2) On and from commencement of the energy performance standards under clause (a) of section 14 of the Act, every permittee shall ensure that

(a) the water heater put on sale shall display revised star level and revised label period synchronizing with the revised energy consumption standards and the manufacturing year of the water heater shall also be in synchronization with such revised energy consumption standards, and shall not produce the water heater with the previous energy consumption standards;

(b) all the preparatory steps including awareness of the dealers, retailers, requisite publicity for their education as well as for the education of the consumers shall be well planned and taken six months in advance of the date of commencement under these regulations.

5. Manner of display of label.—(1) The label shall be affixed at the front display of the unit and should be easily visible as referred in sub-regulation (2) of regulation 3 and the permittee shall ensure that the label appears on every registered unit or model on display for identification purpose, at point of sale or hire and the label shall also be printed or pasted to the exterior to the casing containing the unit or model.

(2) For units not on display, the label may be printed or pasted to the exterior to the casing and this label may be attached to the unit or model when the unit or model is removed from its packaging or the label may be included as a part of the documentation given to the customer or user.

6. Permission for display of label.—(1) No star label shall be affixed on an electric water heater without obtaining the prior permission of the Bureau.

(2) For the purpose of obtaining permission of the Bureau under sub-regulation (1) an application shall be made in Form-I and in electronic form:

Provided that separate application shall be made for each model of electric water heater.

(3) Every application under sub-regulation (2) shall be accompanied by –

(a) an application fee of two thousand rupees, payable by demand draft in favour of Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any acceptable electronic mode of payment;

(b) a label security fee of one lakh rupees, payable by demand draft in favour of Bureau of Energy Efficiency, New Delhi; or by any acceptable electronic mode of payment:

Provided that in case of small scale industry label security fee shall be only twenty -five thousand rupees; and

(c) documents specified in Form I.

7. Grant of permission.—(1) On receipt of an application under regulation 6 and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, grant, subject to terms and conditions as are specified in regulation 8, permission for affixing label on water heater in Form II or in electronic form.

(2) The Bureau shall maintain a register in Form III and enter the name of the permittee therein, a database of which shall also be maintained.

(3) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for such period till which the star level specified by the energy consumption standard as notified by the Central Government under clause (a) of section 14 is in force.

(4) An application for renewal of permission shall be made by the permittee from six months but not later than three months before its expiry of permission and such application shall be accompanied by a fee of one thousand rupees payable in the form of demand draft or electronic mode in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi.

(5) No application shall be renewed after expiry of validity period, in which case the permittee shall make a fresh application.

(6) On receipt of application for renewal under sub-regulation (4) and after being satisfied that all requirements are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, shall renew permission in Form II.

(7) The permittee who seeks permission for continuance to affix label on the existing model of the electric water heater from the date from which the revised star level comes into force shall submit only a declaration as per Form IV.

(8) The permittee shall seek permission to affix label afresh, if new model of the electric water heater is planned to be launched to synchronise with the revised star level and application for such permission may be made six months in advance of coming into force of the revised star level.

8. Terms and conditions for display of particulars on label. – Every permittee, trader and seller shall comply with the following terms and conditions in displaying the particulars on label, namely:-

- (a) the star level displayed on the label of water heater shall conform to energy consumption standards for water heater notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act ;
- (b) the label shall be affixed only on such model of water heater for which permission has been granted;
- (c) the label shall be printed and affixed on the water heater at the cost of the permittee;
- (d) the permittee, trader and seller shall ensure that the star level displayed on the label of water heater shall be maintained at all time;
- (e) the permittee shall pay the label fee as specified in regulation 9;
- (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labeling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year;
- (g) the permittee shall furnish to the Bureau an updated list of authorised distributors, dealers, retailers and sellers appointed to sell their labeled products, on or before the 30th day of April of every year;
- (h) the permittee, trader and seller shall comply with such other terms and conditions which the Bureau may specify including those contained in the Bureau's Manual on Standard and Labeling.

9. Label fee.—(1) Every permittee shall pay to the Bureau a label fee of two rupees on each label affixed on the electric water heater.

(2) The label fee specified under sub-regulation (1) shall be paid annually within one month from the date of closure of each financial year:

Provided that on failure to pay the label fee within the period so specified, the Bureau may recover the amount due with interest thereon at ten per cent. per annum from the label security deposit made under clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 6, and if complete labeling fees are not recovered within one year of the last date of submission, the Bureau may cancel all labels granted to the permittee and publish the name of the permittee in the newspapers as a defaulter.

10. Refund of Label Security deposit.—Subject to the provisions of sub-regulation (2) of regulation 9, a permittee shall be entitled to a refund of the label security fee, on ceasing to manufacture of that particular model of electric water heater.

11. Verification by Bureau.—(1) The Bureau of Energy Efficiency or its designated agency may, either *suo motu*, or on a complaint received by it, carry out verification to ensure that the water heater conforms to the star level and other particulars displayed on its label and that it complies with the other terms and conditions of permission

(2) For the purpose of verification, the Bureau or its designated agency shall procure samples in random, from the manufacturing facility, warehouse or the retail outlet as it deems fit.

(3) Where upon a complaint received under sub-regulation (1), the Bureau is required to carry out verification, by challenge testing the water heater in an independent laboratory duly accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL), a notice shall be issued to the permittee for carrying out such testing and the complainant shall be called upon to deposit, such expenses relating to testing, transportation and other incidental expenses with the Bureau, within such time, as may be determined by Bureau; and if the sample drawn under challenge testing fails, all expenses towards the cost of sample, transportation of sample and the testing charges, shall be reimbursed by the permittee to the Bureau and the Bureau shall refund expenses to the complainant, the user of the label to the complainant; and where the sample passes the challenge test, then, the expenses deposited by the complainant shall stand forfeited.

(4) Where samples of water heater used for testing fails the test during *suo motu* testing or challenge testing, the permittee shall be afforded another opportunity and the Bureau shall conduct a second test with twice the quantity of water heater used in the first test in an independent test laboratory duly accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) at the cost of the permittee.

(5) Where the second test fails, the Bureau shall,-

(a) direct the permittee in Form V, under intimation to all the State Designated Agencies, that the permittee shall, within a period of two months from the date of issuance of Form V,

- (i) correct the star level displayed on the label of the electric water heater or remove the defects and deficiencies of the failed model, found during the verification conducted as per regulation 11;
- (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
- (iii) change the particulars displayed on advertising material;

(b) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specifications in any national or regional daily newspaper and in any electronic means or in any other manner as it deems fit within two months from the date of receipt of test results from Bureau's designated agency;

(c) intimate to the concerned State Designated Agency to initiate adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

(6) The permittee shall within ten days of the conclusion of the period of two months referred to in sub-regulation (5),

(a) send the compliance report as per Form VI to the Bureau with respect to action taken in compliance with the direction; and

(b) where the compliance report referred to in clause (a) is not received or received without complying to any of the direction within aforesaid specified period, it shall be deemed as non-compliance of the direction issued and necessary orders to that effect shall be passed by the Bureau.

(7) The Bureau shall send a copy of the compliance report referred to in clause (a) and orders passed in clause (b) of sub-regulation (6) of regulation 11 to all the State Designated Agencies for the purpose of taking action under section 17 of Act and enforcement of the order passed under clause (b) of the said sub-regulation.

(8) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (5), the Bureau under intimation to all State Designated Agencies, shall,-

(a) withdraw the permission granted to the permittee under sub-regulation (1) of regulation 7;

(b) send report to the Central Government accompanied by the test report in support of the failure by the permittee to conform to the energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, the directions of the Bureau referred to in clause (a) of sub-regulation (5) of regulation 11 for consideration and taking action under clause (c) of section 14 of the Act by the Central Government;

(c) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner as deemed fit by the Bureau within two months of sending report to the Central Government as mentioned in clause (b);

(d) intimate the concerned State Designated Agencies to initiate further legal proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

12. Cancellation of permission.- The Bureau may cancel the permission granted under regulation 7, if the permittee –

- (a) fails to comply with any of the terms and conditions specified under regulation 8;
- (b) fails to pay label fee in accordance with production data, within the period specified under regulation 9;
- (c) fails to comply with the direction issued under regulation 11.

FORM I

[See sub-regulation (2) of regulation 6]

APPLICATION for permission to affix label on electric water heater under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on Labels of Stationary Storage Type Electric Water Heater) Regulations, 2016

THE DIRECTOR GENERAL
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(MINISTRY OF POWER, GOVT. OF INDIA)
4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,
SECTOR – 1, R.K.PURAM
NEW DELHI-110 066
INDIA.

I/ We are the manufacturers or importers of Stationary Storage Type Electric Water Heaters carrying on business at _____ (full business address) under the style of _____ (full name of individual or firm) hereby apply for permission to display/affix label on electric water heater as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on Labels of Stationary Storage Type Electric Water Heater) Regulations, 2016.

2. Manufacturing Facility: The above equipment is manufactured in India by _____ (Name of the company) and is manufactured at _____ (Name and address of the factory) or the above equipment is manufactured outside of India and is sold in India by _____ (Name of the company)

3. Details provided: The detail information in respect of the equipment, company, manufacturing facility, certification for the test products, labels and payment is given in Annexure to this Form. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies/Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises are enclosed.

(a) Authorised person: _____ (Name and Designation) is authorized to make this application on behalf of the company/firm/etc., and will be responsible for accuracy and authenticity of the information supplied with this application.

(b) Contact person: _____ (Name and Designation) is the authorised contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and the use of the Label.

(c) I/We undertake to immediately intimate to the Bureau of any change in the authorised persons defined in (a) or (b) above

4. Conformance to Standards: I/We conform to the Bureau of Indian Standard/other international standards in respect of Quality System/Other standards in accordance with IS/Others (name and number of the standard) _____ as specified in the Notification on _____ (title of the Notification) for the _____ (name of the equipment). A copy of the License / certificate in respect of the organisation and/or above equipment is enclosed.

I/We have made arrangement for testing at our in-house laboratory _____ or at NABL accredited laboratory _____ (Name and address of the laboratory) for ensuring consistency in quality of the equipment.

Independent Laboratory details:

- a) Accreditation status:
- b) Bureau of Energy Efficiency Approval

5. Production and sales figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	MRP of the equipment (Rs.)
Last year from _____ to _____			
Current year from _____ to _____ (estimate)			

6. (a) An application fee of rupees one thousand _____ has been paid by D.D. No. _____ dated _____ / electronic mode.

(b) A label security fee of one lakh/twenty five thousand rupees _____ has been paid by D.D. No. _____ dated; / electronic mode.

(c) I/We agree to pay the labeling fee of rupees two per label as specified by the Bureau.

(d) Small Scale Industries (SSI) certificate is enclosed to prove the eligibility against twenty five thousand label security fee.

7. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the bureau in case of any enquiry to be made by it.

8. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

9. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and should any of the information supplied be found to be incorrect; the application may be rejected forthwith

Dated this

Day of (Year)

Signature

Name

Designation

For and on behalf of

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

Annexure

[See para 3 of Form 1]

Details of Information

1. Product/Equipment Detail

1.1 General

Equipment and Type
Brand
Model Name / Number
Rated Capacity (litre)
Rated Input Power (Watt)
Year of manufacturing
ISI certificate details (if any) (Attach copy of the License / Certificate)
Quality System certificate details (Attach copy of the License / Certificate)
Standing Loss (kWh per 24 hours/45°C)

1.2 Technical details

Sl. No.	Model Name/ No.	Measured Values				Declared Values				Remarks
		Capacity (litre)	Input power (Watt)	Standing Loss (kWh/24 hour/45 ⁰ C)	Star Level or Energy Efficiency Level	Capacity (litre)	Input power (Watt)	Standing Loss (kWh/24 hour/45 ⁰ C)	Star Level or Energy Efficiency Level,	

2. Details of the Company

Name of the Company:	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	

3. Details of the manufacturing premise

Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	
Any other details	

4. Details of Test Laboratory

Name of the test Laboratory	
Accreditation status (Attach copy of the accreditation certificate)	
Validity of the accreditation (Attach supporting document)	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	

Fax No.	
E-Mail	
Web site	

5. Labeling information

Date of commencement	
Number of labels applied for BEE for the first year - for the second year - for the third year -	
Product Serial No.	From _____ To _____

6. Payment details

	Total Amount	Details of Payment (DD details / electronic payment details)
Application Fee		
Security Deposit		

Date

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

.....

FORM II**[See Sub-regulations (1) and (6) of regulation 7]**

**Permission / Renewal of Permission to affix label on electric water heater under the Bureau of Energy Efficiency
(Particulars and Manner of their display on Labels of Stationary Storage Type Electric Water Heater)
Regulations, 2016**

New Delhi, dated the

To

.....
.....

1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (**Particulars and Manner of their display on Labels of Stationary Storage Type Electric Water Heater**) Regulations, 2016, the Bureau hereby permits you to affix label as per details of approvals set out in the Annexure to this Form II.

2. This permission is subject to—

- (a) the star level displayed on the label of the electric water heater shall conform to energy consumption standards for stationary storage type electric water heater notified under clause (a) of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
- (b) the label shall be affixed only on such model of electric water heater for which permission has been granted;
- (c) the label shall be printed and affixed on the electric water heater at the cost of the permittee;
- (d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the electric water heater shall be maintained at least till the validity of the label or validity of their registration;
- (e) the permittee shall pay the labeling fee of two rupees per label;

- (f) the permittee shall furnish (in hard copy as well as through Standards & Labeling online web-portal) to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the labelling fee payable for each quarter within a period of thirty days of the close of that quarter of the financial year;
- (g) the permittee shall make available such other details of electric water heater as and when sought by the Bureau for which the permission has been granted.
3. This permission shall be valid from toand may be renewed as prescribed. The permittee shall not withdraw the electric water heater from the market during the validity period of permission except with the prior approval of the Bureau.
4. The unique label series code assigned by Bureau of Energy Efficiency for the equipment is..... which should be clearly visible on the label as per the approved design.
5. Whenever the star level plan is amended or modified by the Bureau, the star level of the electric water heater shall be modified as follows:-
 (a) if new model is launched synchronizing with the revised star level, an application for such permission shall be made to Bureau six months in advance of the date from which new star level comes in to force;
 (b) Where the existing model is continued to give effect to the modified star level, only a declaration as per Form IV shall be submitted to the Bureau.
6. Signed, sealed and dated this..... day ofmonth..... year.

(Secretary)
Bureau of Energy Efficiency

Annexure
[See para 1 of Form II]
Details of Approvals

1. Details of the Equipment

Equipment and Type
Brand
Model Name / Number
Rated capacity (litre)
Rated Input Power (Watt)
Year of manufacturing

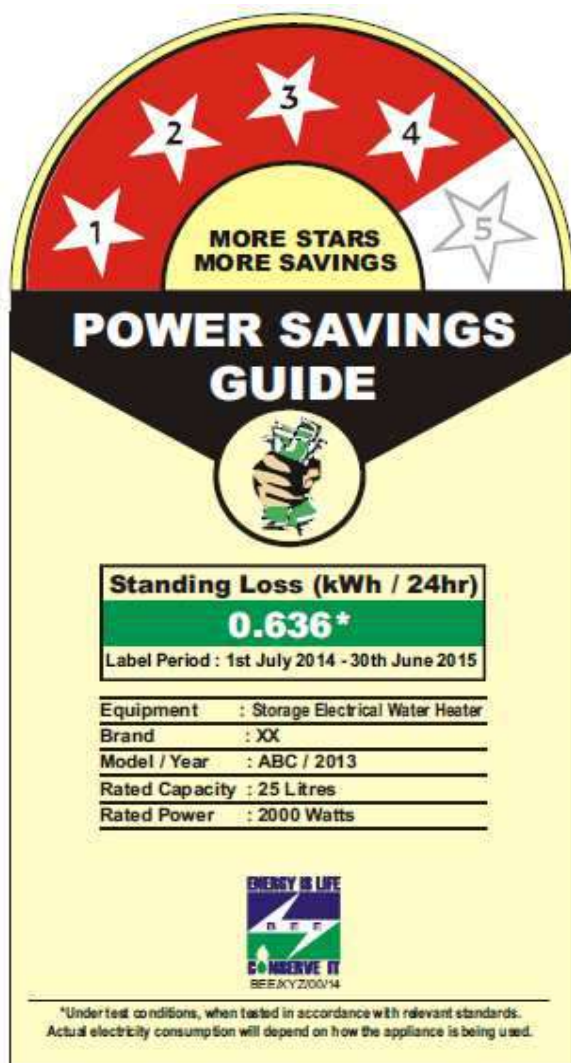
Sl. No.	Model Name/ No.	Measured Values				Declared Values				Remarks
		Capacity (litre)	Input power (Watt)	Standing Loss (kWh/24 hour/45°C)	Star Level or Energy Efficiency Level	Capacity (litre)	Input power (Watt)	Standing Loss (kWh/24 hour/45°C)	Star Level or Energy Efficiency Level	

2. Label Details

Equipment	
Type	
Name of the manufacturer/importer/Brand	
Model Name/Number	
Year of manufacturing	
Rated capacity (litre)	

Rated Input Power (Watt)	
Standing Loss (kWh/24 hr/45°C)	
Star level	
Label period	

3. Specimen of the label duly approved by Bureau of Energy Efficiency to be affixed on the electric water heater is shown below.



The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the electric water heater.

4. The label design, size, colour scheme, material to be used for the label and the content of the label and colour scheme of the Bureau's logo shall be as specified in the Schedule.

Date

Signature
 Name
 Designation
 For and on behalf of.....
 (Name of the firm)
 SEAL OF FIRM

FORM III

[See sub-regulation (2) of regulation 7]

Register of Permittees to be maintained by Bureau of Energy Efficiency (template)

Sl. No.	Application No. and Date of Permission	Name and details of the permittee (Contact Person, Address, Pin Code, State, Phone No., Fax No., E-mail, Website)	Details of equipment for which the permission has been granted	Star level or Efficiency level declared	Bureau of Energy Efficiency permission number and unique label series	Period for which the permission has been granted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Amount of Label Security Deposit	Security Deposit received by (Crossed Demand Draft (Details)/Electronic transaction (Details): Date:)	Amount of Application Fees received	Details of Application Fee Amount received (Crossed Demand Draft (Details)/Electronic transaction (Details): Date:)
(8)	(9)	(10)	(11)

Total number of labels affixed during each financial year	Amount of labeling fee payable to Bureau of Energy Efficiency for each financial year	Labeling fee details received for each financial year (Crossed Demand Draft (Details)/ Electronic transaction (Details): Date:)	Remarks
(12)	(13)	(14)	(15)

Form IV

[See sub-regulation (7) of regulation 7]

DECLARATION by Permittee for continuance to affix label on the existing model

(For each different model, a separate letter shall be submitted along with respective Annexure)

(On the letter head of corporate body / User of Label)

Date:**To**

**THE DIRECTOR GENERAL
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(MINISTRY OF POWER, GOVT. OF INDIA)
4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,
SECTOR 1, R.K.PURAM,
NEW DELHI-110 066
INDIA.**

Sub: Application for permission to affix label vide Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on Labels of Stationary Storage Type Electric Water Heater) Regulations, 2016 on revision of star level effective from

1. I/ We are the manufacturers / importers of electric water heater carrying on business at [COMPANY NAME WITH FULL ADDRESS] under the style of [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] hereby apply for permission to affix label on electric water heater as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on Labels of Stationary Storage Type Electric Water Heater) Regulations, 2016 which would go for revision of star level with effect from
2. The above equipment is manufactured by [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] and is manufactured at (NAME AND ADDRESS OF FACTORY) or imported from (NAME AND ADDRESS OF IMPORTER)
3. Conformance to New Star Level: I/We hereby accept to the revision of star level as specified in the notification number S.O. dated for electric water heater. A copy of the BEE's approval in respect of the above equipment (which was earlier approved) is enclosed.

4. A copy of the Bureau of Energy Efficiency Label (as per revision of star level change) in respect of the electric water heater is enclosed.

5. Details of the Equipment / Model as per revision of star level

Model Name - _____

Particulars	Declared Values	
Rated Capacity (litre)	--	
Rated Input Power (Watt)	--	
Standing Loss (kWh/24 hr/45 ⁰ C)	--	
Star Rating	(As per existing star level)	(As per the revised star level)

6. I/We agree to change the existing level of standing loss in the star label as per the revised star level requirement in manual application submitted to Bureau of Energy Efficiency and in the online web-portal.

7. I have submitted my quarterly production data and labelling fee till date for the said electric water heater model.

8. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.

9. I/we will have no authority to object Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

10. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my/our knowledge, and should any of the information supplied is found to be incorrect, the application may be rejected forthwith.

Date:

Day of (Year)

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

FORM V

[See clause (a) of sub-regulation (5) of regulation 11]

Direction to Permittee on failure of check testing of second sample

To

New Delhi, dated the.....

.....

.....

.....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (**Particulars and Manner of their display on Labels of Stationary Storage Type Electric Water Heater**) Regulations, 2016, you were permitted to affix label on the electric water heater vide Bureau of Energy Efficiency letter No.dated..... subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

2. The Bureau, under Regulation ... of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on Labels of Stationary Storage Type Electric Water Heater) Regulations, 2016, had purchased a Bureau of Energy Efficiency star labelled water heater from your authorised Distributor, dealer, retailer vide Invoice numberdated for a price of Rs..... for the purpose of carrying out the necessary tests to verify the particulars displayed on the label. The samples were purchased by M/s....., an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under Regulation 3 of the aforesaid Regulations, affixed by you on the aforesaid purchased electric water heater. The sample duly sealed by M/s..... was given Unique Identification serial number for the

chosen sample obtained from M/s.....(Name of the Distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorised representative of the verification Agency.

3. The Bureau through its aforesaid Verification Agency had transported the sample referred to in para 2 to M/s., a NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 3 and 4 of S. O. numberdated the for giving Test Report in accordance with the Formgiven in Annexure to S.O.. number..... dated the

4. The results of the Test Report on the sample bearing Unique Identification serial number is enclosed. The results of the Test Report indicated that the sampled water heater failed to meet the standing loss (kWh/24 hrs/45⁰C), standard, specified volume capacity etc. and did not conform to the Test details furnished by you in Form 1 annexed to the Application submitted by you for seeking permission to affix label on the Electric Water Heater manufactured/imported by you. The Test Results were sent to you vide Bureau of Energy Efficiency letter No... dated.....in the name of your authorised contact person . You were also requested to attend and witness the Second Check Verification Test of the samples at the NABL Accredited Laboratory M/s.....

5. The Sample for second check verification test, were picked up in accordance with paragraph 6 of S.O. number dated the through our authorised Agency M/s.and transported to the NABL accredited Laboratory transported by our authorised Agency, duly sealed by M/s..... and was given Unique Identification serial number embossed on the said sample obtained fromunder signatures of the duly authorised representative of the verification Agency as well as your representatives.

6. The Test results are contained in Second Test Verification Report duly prepared checked and counter signed by the competent authorized personnel of the NABL Accredited Laboratory. The test report is also duly signed by your authorised signatory as witness of 2nd check testing. The Test Results confirm that they failed to meet the requisite parameters and standards given in S.O. number dated, and the terms and conditions of the permission given to you for display of particulars on label affixed to the Electric Water Heater manufactured/imported and sold in the market .

7. Now, therefore in exercise of the power conferred clause (a) of sub-regulation (4) of Regulation 11of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of display of Label on Stationary Storage Type Electric Water Heater) Regulations, 2016, the Bureau hereby directs to:-

- (i) correct the star level displayed on the label of the Electric Water Heater or remove the defects and deficiencies found during testing;
- (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
- (iii) change the particulars displayed on advertising material.

8. You are hereby directed to complete the aforesaid corrective action within two months from the date of issue of this letter and send the compliance report in Form VI within 10 days after the expiry of two months i.e. byIn case no compliance report is received by the said date the Bureau shall proceed to take action in terms of clause (b) of sub-regulation (5) of Regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on Labels of Stationary Storage Type Electric Water Heater) Regulations, 2016

9. The Bureau shall take further follow up action in the matter in terms of sub-regulations (4), (5), (6), (7) and (8) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on Labels of Stationary Storage Type Electric Water Heater) Regulations, 2016.

Secretary,
Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

1. Test reports of the failed model
2. Correspondence with the manufacturer

Form VI

[See clause (a) sub-regulation (6) of regulation 11]

Action Taken Report

(To be furnished on Company's letter head)

To
 THE SECRETARY,
 BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
 (MINISTRY OF POWER, GOVT. OF INDIA)
 4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,
 SECTOR 1, R.K.PURAM,
 NEW DELHI-110 066
 INDIA.

Date.....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on Labels of Stationary Storage Type Electric Water Heater) Regulations, 2016, we M/s.....the manufacturer of electric water heater were permitted to affix label on the electric water heater conforming to the energy consumption standard ofstar level vide Bureau of Energy Efficiency letter No.....dated.....for the model number.....

Pursuant to the provisions of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on Labels of Stationary Storage Type Electric Water Heater) Regulations, 2016, we were given directions vide Bureau of Energy Efficiency letter number.....dated..... to take necessary corrective action. In the light of directive issued by Bureau of Energy Efficiency, we hereby declare that the following actions have been taken at our end.

	Action Directed	Status	Action Taken
(i)	Correct the star level displayed on the label of the electric water heater to comply with the directions of the Bureau	Yes/No/NA	The star level has been corrected from.....star to.....star with effect from (Date)
(ii)	Withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau. and	Yes/No/NA	All the stocks from the market have been withdrawn to comply with the directions of the Bureau.
(iii)	Change the particulars displayed on advertising material.	Yes/No/NA	Yes/No/NA

The above declaration is true to the best of our knowledge and belief.

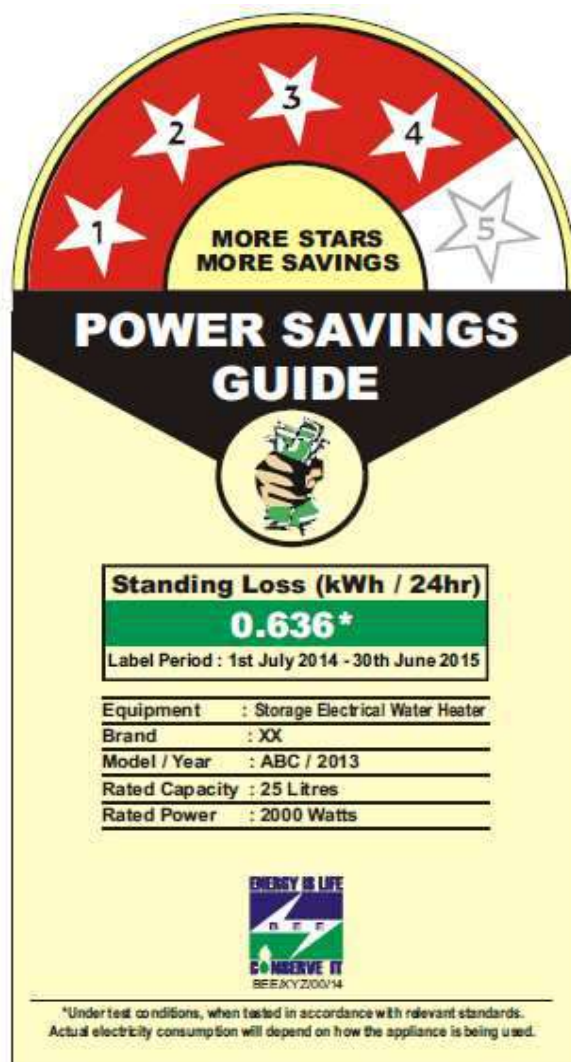
Signature
 Name
 Designation
 For and on behalf of.....
 Name of the Company/Firm, etc
 Seal of the Firm/Company.

SCHEDULE

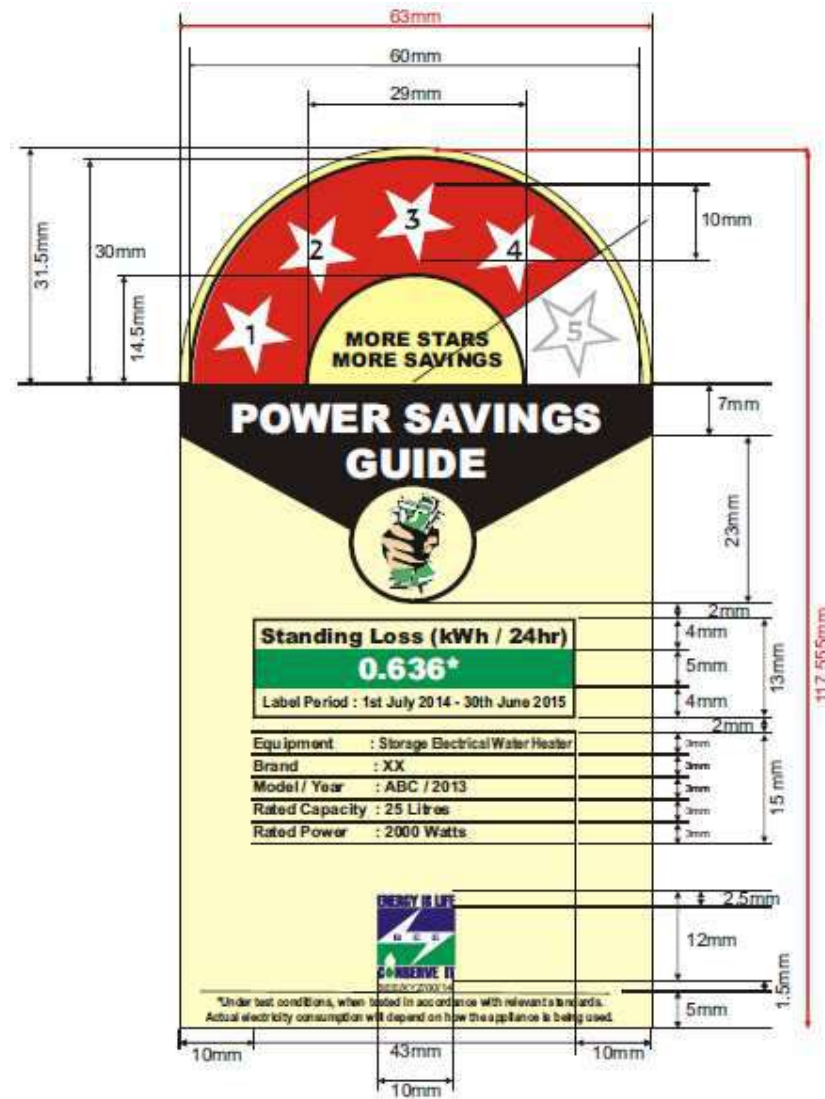
[See sub-regulation (2) of regulation 3]

Particulars to be displayed on labels of electric water heater.

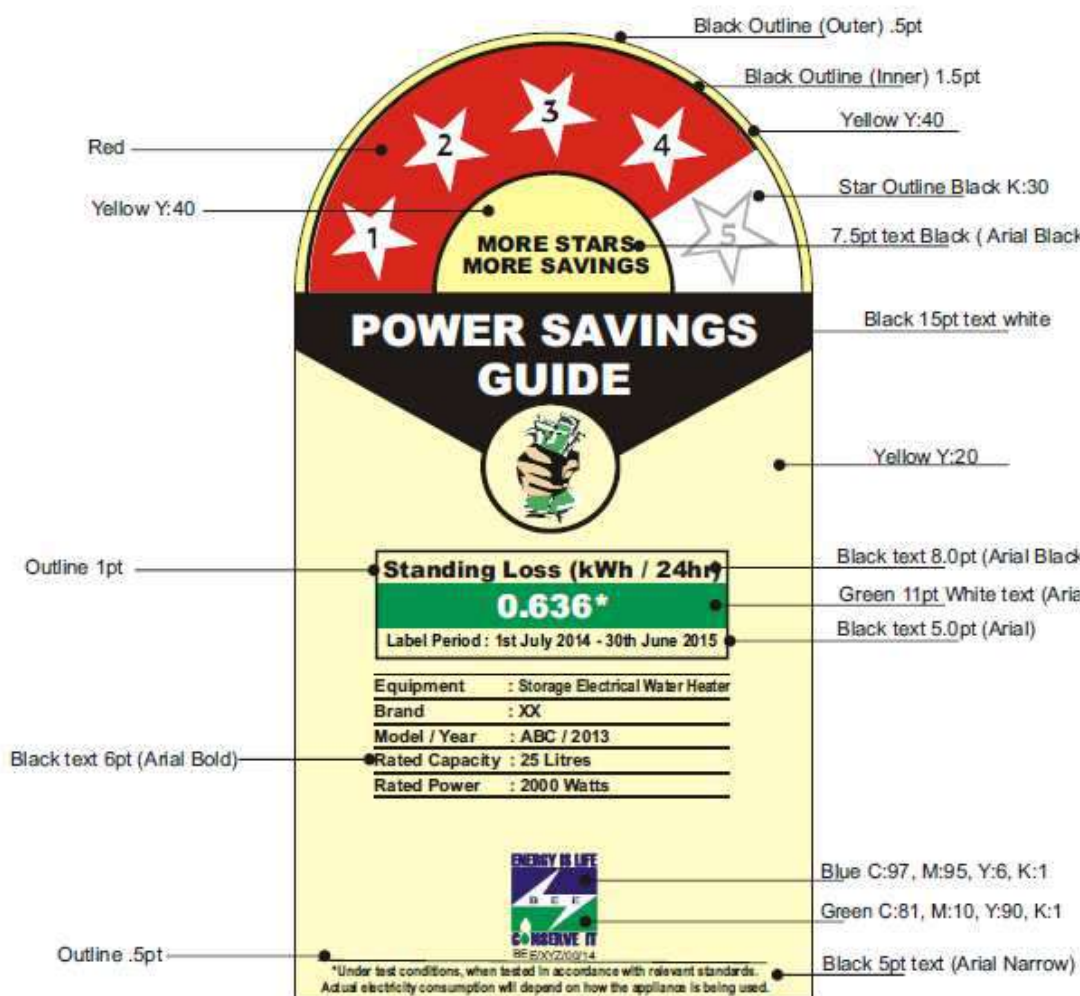
(1) Sample Label



(i) Dimension:



(ii) Color scheme:



(iii) Color scheme of BEE logo:

BLUE –

Hue(H)-239° Saturation(S):64% Brightness(B):59%
 Luminance or lightness(L) :28, chromatic components -a:24 b:54
 Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151
 Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%
 Web colour code - #363797

GREEN –

Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67%
 Luminance or lightness(L) :61, chromatic components -a:-53 b:32
 Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87
 Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%
 Web colour code - #00AA56;

(2) Label Material

The label shall be durable (cardboard or metal) and possess good wear and tear characteristics and self-adhesive type. It should stick tightly on the appliance surface. The design and dimension of the label shall be as given for sample labels specified in these regulations.

B. P. PANDEY, Director General, Bureau of Energy Efficiency
 [ADVT-III/4/Exty./232(185)]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14122022-241054
CG-DL-E-14122022-241054

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 642]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 12, 2022/अग्रहायण 21, 1944

No. 642]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 12, 2022/AGRAHAYANA 21, 1944

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2022

सं. बीईई/एस एवम् एल/ वॉटर हीटर/ 3/2022-23.—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित, प्रारूप अधिसूचना, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्टेशनरी भंडारण प्रकार के विद्युत् जल हीटर पर प्रदर्शन के विवरण और विधि) विनियम, 2022, अधिसूचना संख्यांक बीईई/एसएण्डएल/वाटर हीटर/3/2015-16 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिससे उनके प्रभावित होने की संभावना थी, उसके प्रकाशन तारीख से तीस दिनों विनिर्दिष्ट अवधि में समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप विनियम की प्रतियां जनता को 27 जून, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उपर्युक्त अवधि के भीतर उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में सुझाव प्राप्त हुए हैं;

और, इस संबंध में प्राप्त सुझावों पर विचार किया गया है;

अतः अब, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (ड) और धारा 14 का खंड (घ) के साथ पठित धारा 58 के उपधारा (2) के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्टेशनरी भंडारण प्रकार के विद्युत् जल हीटर पर प्रदर्शन के विवरण और विधि) विनियम, 2016, संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता बनाती है, अर्थात्:-

1. लघु शीर्षक और आरम्भ .- (1) इन विनियमों का संछिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्टेशनरी भंडारण प्रकार विधुत् जल हीटर पर प्रदर्शन के विवरण और विधि) (संशोधन) विनियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्टेशनरी भंडारण प्रकार के विधुत् जल हीटर पर प्रदर्शन के विवरण और विधि), (संशोधन), विनियम, 2022 (जिससे इसमें इसके पश्चात उक्त विनियम कहा जाएगा), "इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर" और "वॉटर हीटर शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी ये प्रयुक्त होते हैं, "स्टोरेज वाले स्टेशनरी इलेक्ट्रिक वाटर हीटर" शब्दों को रखा जाएगा।

3. उक्त विनियमों में विनियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"4. लेबल प्रदर्शित करने की समय सीमा.-

(1) स्वैच्छिक से अनिवार्य व्यवस्था में परिवर्तन - विनियम 3 में निर्दिष्ट सभी विवरणों वाला एक लेबल इन विनियमों के लागू होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर प्रत्येक स्टोरेज वाले स्टेशनरी प्रकार के विधुत् जल हीटर पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) अनिवार्य ऊर्जा खपत मानकों का पुनरीक्षण - अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित ऊर्जा खपत मानकों के प्रारंभ होने पर, प्रत्येक अनुज्ञाधारी या व्यापारी या विक्रेता, -

(क) पिछले ऊर्जा खपत मानकों के साथ स्टोरेज वाले स्टेशनरी विधुत् जल हीटर का उत्पादन नहीं करेगा;

(ख) स्टोरेज वाले स्टेशनरी विधुत् जल हीटर संशोधित ऊर्जा खपत मानक और संशोधित ऊर्जा खपत मानकों के साथ सिंक्रनाइजेशन में स्टोरेज वाले स्टेशनरी विधुत् जल हीटर के निर्माण वर्ष के साथ संशोधित स्टार स्तर और लेबल अवधि प्रदर्शित करेगा;

(ग) डीलरों, खुदरा व्यापारियों को जानकारी देने के लिए, उनको शिक्षित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए अपेक्षित प्रचार-प्रसार सहित सभी प्रारंभिक कदम समय रहते उठाए जाने चाहिए।

4. उक्त विनियमों के विनियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:

"6. लेबल प्रदर्शित करने की अनुज्ञा - (1) ब्यूरो की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना स्टेशनरी स्टोरेज प्रकार के विधुत् जल हीटर पर कोई स्टार लेबल नहीं लगाया जाएगा।

(2) ब्यूरो की अनुज्ञा प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक ब्रांड को एक लाख रुपए के लेबल प्रतिभूति शुल्क के साथ, अलग से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा जैसा कि प्ररूप I - (क) में विनिर्दिष्ट किया गया है, भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय है:

(3) उपविनियम (2) के अधीन अनुज्ञाधारक के प्रत्येक आवेदन के साथ-

(क) भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय प्रति मॉडल दो हजार रुपए का आवेदन शुल्क; तथा

(ख) इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय एक लाख रुपये का एक लेबल सुरक्षा शुल्क:

परन्तु लघु उद्योग के मामले में लेबल सुरक्षा शुल्क पच्चीस हजार रुपए होगा; तथा

(ग) प्ररूप I में विनिर्दिष्ट दस्तावेज।

5. उक्त विनियमों के विनियम 7 में, -

(क) उपविनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपविनियम को रखा जाएगा, अर्थात् -

"(1) विनियम के खंड 6 के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर और इससे संतुष्ट होने पर कि इसमें दी गई सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है, ब्यूरो मानक और लेबलिंग पर ऐसी प्राप्ति की तारीख से ब्यूरो मानक और लेबलिंग के मैनुअल में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर, विनियम 8 में यथा विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन अनुज्ञा प्रदान करता है,-

(क) प्ररूप II-(क) में इलेक्ट्रॉनिक रूप में ब्रांड रजिस्ट्रीकृत करना; या

(ख) प्ररूप II में इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोरेज वाले स्टेशनरी इलेक्ट्रिक वाटर हीटर पर लेबल लगाने की अनुज्ञा देना।

(ख) उप विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम रखा जाएगा।

"(4) स्टार रेटिंग योजना के पुनरीक्षण के मामले में, अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए एक आवेदन अनुज्ञाधारी द्वारा इसकी समाप्ति से एक माह पहले नहीं किया जाएगा और इसके साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नई दिल्ली के पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक मोड में देय एक हजार रुपए का शुल्क देय होगा।

परन्तु स्टार रेटिंग योजना के विस्तार के मामले में, एक हजार रुपये के उक्त नवीनीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी।"

6. उक्त विनियमों में, -

(क) प्ररूप I में, शब्द और अक्षर, "डीडी नंबर द्वारा", दोनों स्थानों पर, शब्द "इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा" रखा जाएगा।

(ख) प्ररूप I के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप और उपाबंध जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप I-(क)

(विनियमन 6(2) देखें)

(कंपनी के लेटर हेड में मुद्रित किया जाना है)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्टेशनरी भंडारण प्रकार के विद्युत् जल हीटर पर प्रदर्शन के विवरण और विधि), (संशोधन), विनियमन 2022 के अधीन स्टेशनरी भंडारण प्रकार विद्युत् जल हीटर ब्रैंड के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार) चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर-1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली- 110 066 भारत.

मैं/हम स्टेशनरी भंडारण प्रकार विद्युत वाटर हीटर का विनिर्माता /के विनिर्माता,.....(पूरा व्यावसायिक पता) मेंशीर्षक से संचालित व्यवसाय (व्यक्ति या कंपनी का पूरा नाम) के लिये ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्टेशनरी भंडारण प्रकार के विद्युत् जल हीटर पर प्रदर्शन के विवरण और विधि) विनियमन 2022, के अनुसार स्टेशनरी भंडारण प्रकार विद्युत जल हीटर पर लेबल लगाने की अनुमति के लिये आवेदन करना चाहता हूँ/हैं।

उपकरण, कंपनी, विनिर्माण केंद्र और भुगतान के बारे में जानकारी का विवरण उपाबंध में दिया गया है। कंपनी रजिस्ट्रार या सोसायटी या उद्योग निदेशक (लघु इकाइयों के संदर्भ में) द्वारा जारी प्रमाणपत्र की फोटो प्रति या कंपनी और इसके विनिर्माण परिसरों की पुष्टि करने वाले समान अन्य दस्तावेज संलग्न हैं।

(क) आवेदक/अधिकृत व्यक्ति:(नाम और पद), कंपनी/फर्म की ओर से या अन्य प्राधिकरणों की ओर से आवेदन करने के लिये अधिकृत है और वह आवेदन के साथ दी गयी जानकारी की सत्यता के लिये भी उत्तरदायी होगा।

- (ख) संपर्क व्यक्ति:(नाम और पद) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के संदर्भ में ब्यूरो के साथ समन्वय के लिये संपर्क व्यक्ति बनने के लिये अधिकृत है।
- (ग) मैं/हम उपर्युक्त (क) और (ख) में निर्दिष्ट अधिकृत व्यक्तियों के संदर्भ में किसी बदलाव के बारे में ब्यूरो को जानकारी देने की जिम्मेदारी लेते हैं।
3. उक्त उपकरण के विनिर्माण और बिक्री तथा मूल्य संबंधी आंकड़ें मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और अनुमान के आधार पर इस प्रकार है:

वर्ष	उत्पादन	बिक्री	उपकरण का अधिकतम खुदरा मूल्य (रुपये)
पिछले वर्ष.....सेतक			
वर्तमान वर्ष.....से.....तक (अनुमान)			

4. एक लाख रुपये या 25 हजार रुपये, जैसी भी स्थिति हो, का लेबल सुरक्षा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान कर दिया गया है (लेबल सुरक्षा शुल्क जमा करते समय ही भरा जाना है).
5. मैं/हम ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट लेबल शुल्क के भुगतान के लिये सहमत हैं।
6. मैं/हम ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट सभी नियम और शर्तें मानने के लिये और ब्यूरो को उसके द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच की स्थिति में आवश्यक सहायता/सहयोग उपलब्ध कराने के लिये सहमत हैं।
7. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को पुष्टि और चुनौती परीक्षण के उद्देश्य से नमूनों के चयन के लिये अधिकृत करते हैं और इस बारे में ब्यूरो के निर्देशों के पालन के लिये सहमत हैं।
8. मैं/हम वचन देते हैं कि इस आवेदन में दिया गया विवरण हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है, और यदि कोई भी जानकारी गलत पायी जाये तो आवेदन रद्द कर दिया जाये।

तारीख..... (वर्ष)

हस्ताक्षर

नाम

पद

कृते एवं ओर से

(फर्म का नाम) फर्म की मुहर

उपाबंध
प्ररूप 1-(क) का पैरा 2 देखें

1. कंपनी का विवरण

कंपनी का नाम	
पता	
पिनकोड	
राज्य	
फोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ई-मेल	
वेबसाइट	

रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण में प्ररूप	हां/नहीं
(क) विनिर्माण या व्यवसाय परिसरों के नाम और पते की पुष्टि में दस्तावेज	
(ख) ट्रेड मार्क प्रमाणपत्र	
(ग) लघु उद्योग प्रमाणपत्र, यदि व्यवहार्य हो	
(ग) गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्र	
(घ) अधिकृत अधोहस्ताक्षरी पत्र	
(डं.) भारतीय मानक ब्यूरो लाईसेंस, यदि व्यवहार्य हो	
(च) ऑनलाइन किये गये भुगतान के लिये भुगतान प्राप्ति पावती	

2. विनिर्माण परिसर का विवरण (एक से अधिक निर्माण इकाई के लिये अलग सारणी दी जा सकती है)

विनिर्माण इकाई का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य/देश	
फोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ई-मेल	
वेबसाइट	
कोई अन्य जानकारी (यदि हो)	

हस्ताक्षर

नाम

पद

कृते एवं ओर से

(फर्म का नाम) फर्म की मुहर"

(घ) प्ररूप II के बाद निम्नलिखित प्ररूप और उपाबंध जोड़ा जाएगा, अर्थात्

"प्ररूप II- (क)

(विनियमन 7(1)(क) देखें)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्टेशनरी भंडारण प्रकार के विद्युत् जल हीटर पर प्रदर्शन के विवरण और विधि), (संशोधन), विनियमन 2022 के अधीन स्टेशनरी भंडारण प्रकार विद्युत् जल हीटर ब्रैंड के रजिस्ट्रीकरण के लिये अनुमति

नयी दिल्ली, तारीख.....

सेवा में

.....

.....

.....

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्टेशनरी भंडारण प्रकार के विद्युत् जल हीटर पर प्रदर्शन के विवरण और विधि), (संशोधन), विनियमन 2022 के प्रावधानों के अनुसार ब्यूरो आपको अपना ब्रैंड इस पत्र के उपाबंध में निर्धारित अनुमोदनों के विवरण के अनुसार रजिस्ट्रीकृत कराने की अनुमति देता है।
2. यह अनुमति निम्नलिखित के अधीन है:-
 - (क) लेबल पर लगाया गया स्टार लेबल अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित स्टेशनरी स्टोरेज टाईप इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर के ऊर्जा उपभोग मानकों और विनियमन के नियमों और शर्तों के अनुरूप होना चाहिये;
 - (ख) लेबल की मुहर केवल ऐसे स्टेशनरी भंडारण प्रकार विद्युत जल हीटर पर लगायी जाये जिसके लिये अनुमति दी गयी है;
 - (ग) स्टेशनरी भंडारण प्रकार विद्युत जल हीटर पर लेबल की छपाई और लगाये जाने का खर्च अनुमति प्राप्त कर्ता द्वारा वहन किया जायेगा;
 - (घ) अनुमति प्राप्त कर्ता को सुनिश्चित करना होगा कि स्टेशनरी भंडारण प्रकार विद्युत जल हीटर पर लगाया गया स्टार लेबल हर समय बना रहे;
 - (ङ) अनुमति प्राप्तकर्ता ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट लेबल शुल्क करे;
 - (च) अनुमति प्राप्तकर्ता ब्यूरो के पास एक बयान जमा करेगा जिसमें लेबलयुक्त उपकरण के विनिर्माण और वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के बाद वाले महीने में प्रत्येक तिमाही के प्रोद्भूत लेबल शुल्क का ब्योरा होगा। यह समान जानकारी एक स्वचालित प्रणाली के माध्यम से भी ब्यूरो में जमा करायी जायेगी;
 - (छ) अनुमति प्राप्तकर्ता अनुमति मंजूर करने वाले ब्यूरो द्वारा मांगे जाने पर स्टेशनरी भंडारण प्रकार विद्युत जल हीटर के अन्य विवरण भी उपलब्ध करायेंगे;
3. अनुमति प्राप्तकर्ता ब्यूरो की पूर्व अनुमति के सिवाय सत्यापन अवधि के दौरान रजिस्ट्रीकृत ब्रैंड और स्टेशनरी भंडारण प्रकार विद्युत जल हीटर बाजार से नहीं हटायेंगे।
4. ब्रैंड के लिये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा प्रदत्त विशिष्ट लेबल श्रृंखलाहै और इसे अनुमोदित डिजाइन के अनुसार लेबल पर दर्शाया जाना चाहिये।
5. वर्ष.....के..... माह कीतारीख पर हस्ताक्षरित और मुहरबंद।

भवदीय

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध

(प्ररूप II- (क) का पैरा 1 देखें)

अनुमति विवरण

1. कंपनी का विवरण

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नंबर	

फैक्स नंबर	
ई-मेल	
वेबसाइट	

2. रजिस्ट्रीकृत ब्रांड का नाम
3. विशिष्ट श्रृंखला संहिता
4. अन्य विवरण, यदि व्यवहार्य हों

भवदीय,

तारीख:

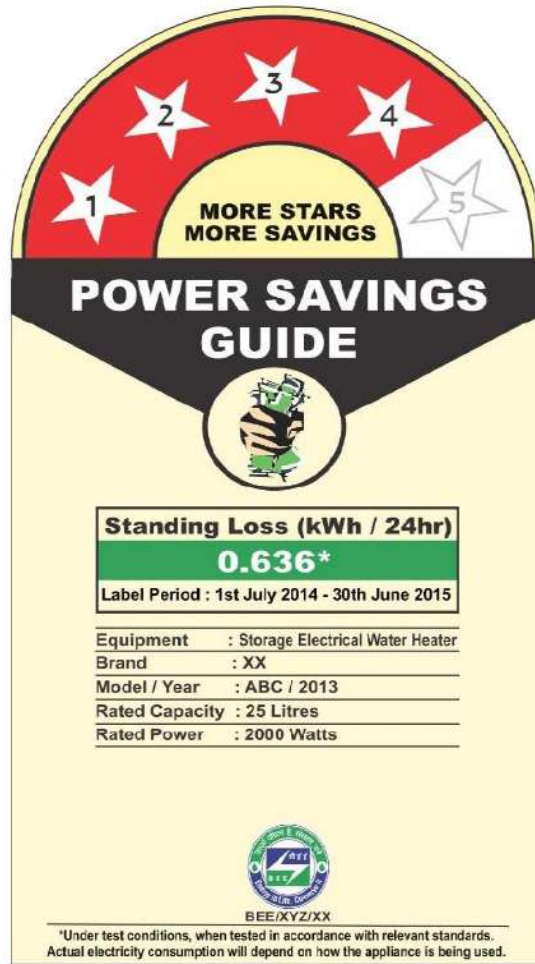
(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो"

(ड) प्ररूप III में, स्तम्भ (9), (11), और (14) में आने वाले शब्दों और कोष्ठकों "(क्रॉस किए गए डिमांड ड्राफ्ट)
(विवरण) / इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन (विवरण: तारीख) के स्थान पर "इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा" शब्दों को रखा जाएगा।

7. उक्त विनियमों में, मद संख्या 3 में, प्ररूप II के अनुलग्नक के स्थान पर, निम्नलिखित नमूना लेबल और त्वरित प्रतिक्रिया कोड को रखा जाएगा, अर्थात्-

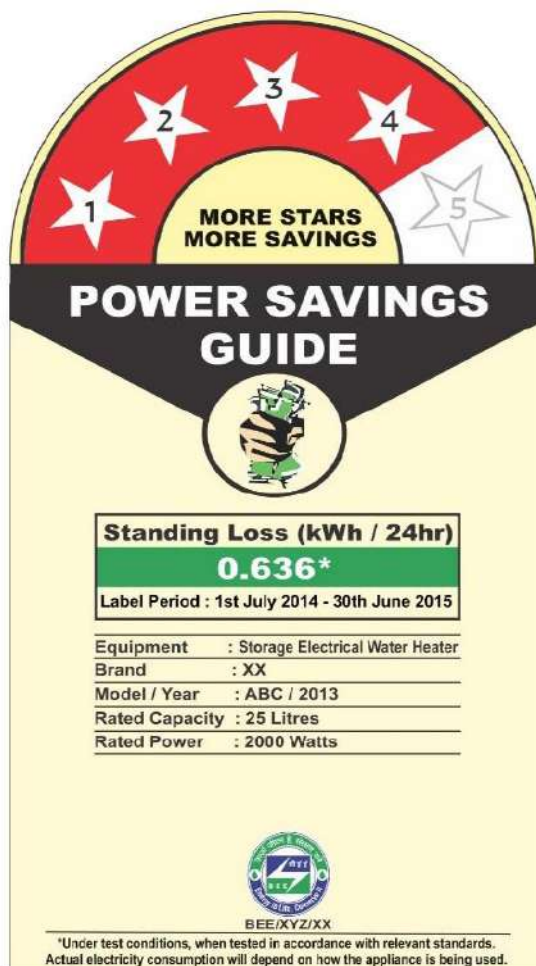
"



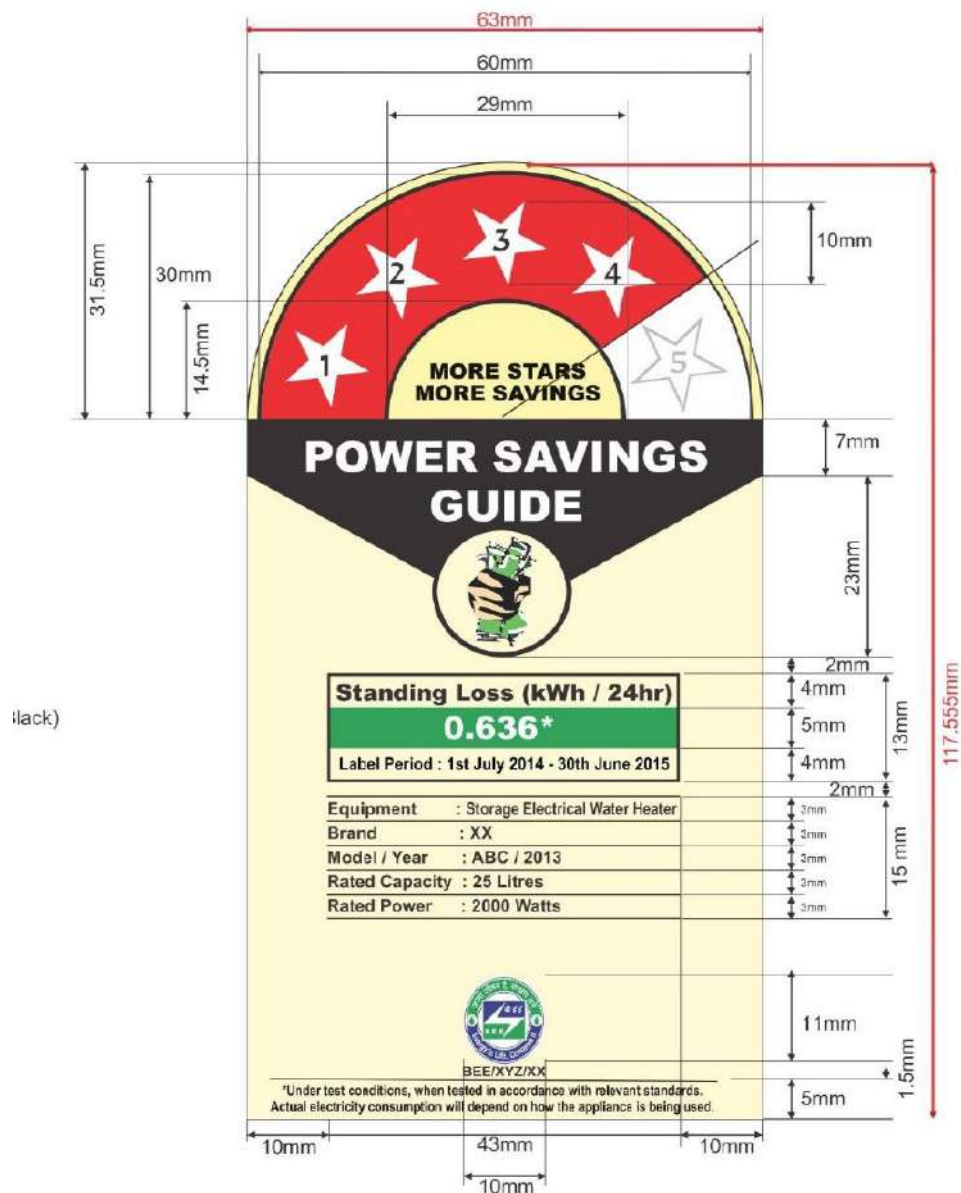
स्टेशनरी भंडारण प्रकार विद्युत जल हीटर पर चिपकाए जाने वाले लेबल पर पत्र में दिए गए विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोड का उल्लेख किया जाए। “

8. उक्त विनियमों के, अनुसूची में, "विद्युत जल हीटर के लेबल पर प्रदर्शित किए जाने वाले विवरण" शीर्षक के अधीन, अंक, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, "(1) नमूना लेबल, (i) आयाम और (iii)) रंग योजना" के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् -

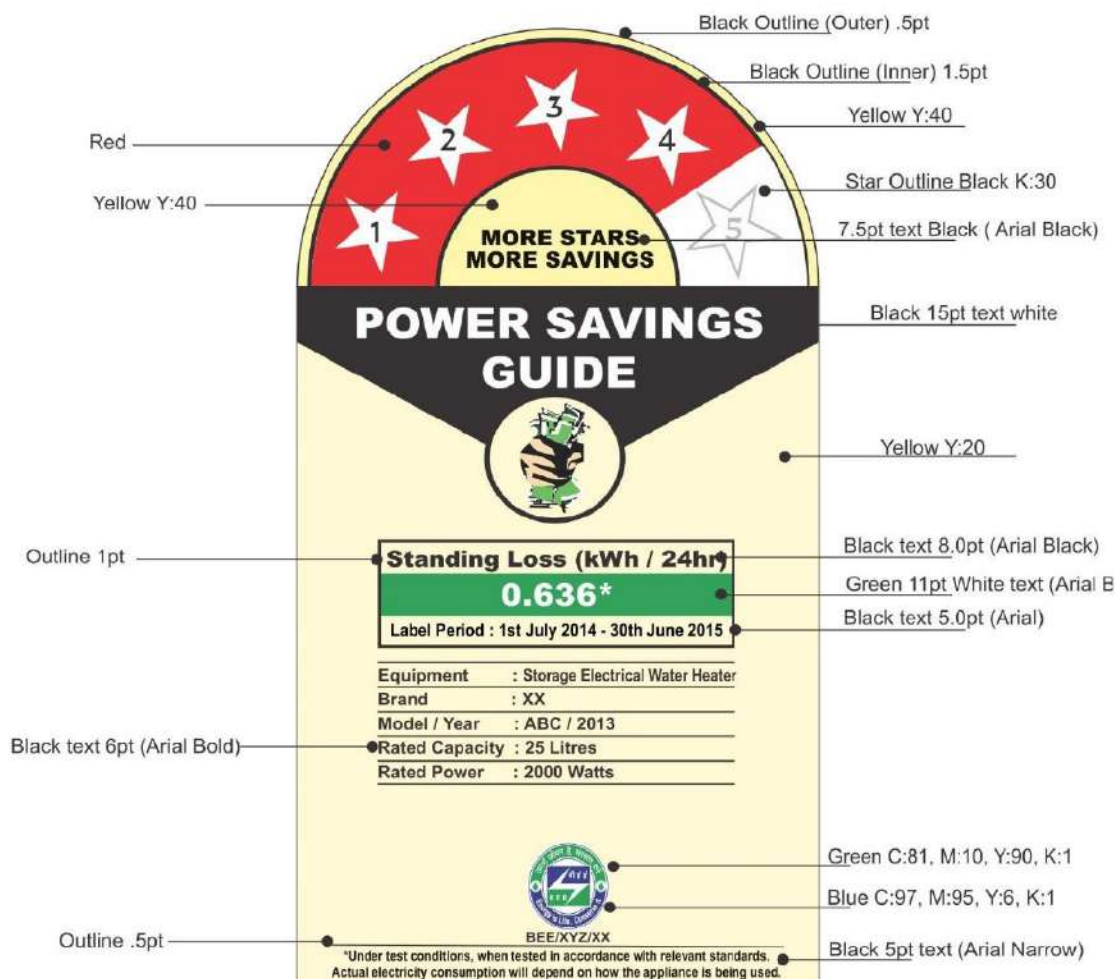
"(i) नमूना लेबल (नमूना लेबल का डिजाइन) ;



ii. परिमाण



iii. रंग योजना



अभय बाकरे, महानिदेशक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो,
[विज्ञापन III/4/असा./461/2022-23]

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2022

No.BEE/S&L/WaterHeater/3/2022-23.- Whereas the draft regulations namely, the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Stationary Storage type Electric Water Heater) Regulations, 2022, were published vide notification number BEE/S&L/Water Heater/3/2015-16 as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from persons likely to be affected thereby within the specified period of thirty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas, copies of the said draft regulations were made available to the public on 27th June, 2022;

And whereas, suggestions have been received with respect to the said draft regulations within the period aforesaid;

And whereas, the suggestions received in this regard have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 58 read with clause (n) of sub-section (2) of section 13 and clause (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Bureau, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Stationary Storage type Electric Water Heater) Regulations, 2016, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Stationary Storage Type Electric Water Heater), (Amendment) Regulations, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Stationary Storage type Electric Water Heater), (Amendment) Regulations, 2022 (hereinafter referred to as the said regulations), for the words “Electric Water Heater” and “Water Heater, wherever they occur, the words “Stationary Storage type Electric Water Heater” shall be substituted.

3. For regulation 4 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

“4. Time limit for display of labels.—

(1) Transition from Voluntary to Mandatory regime.- A label containing all the particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every stationary storage type electric water heater within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.

(2) Revision of Mandatory Energy Consumption Standards.- On and from the commencement of revised energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, every permittee or trader or seller, —

- (a) shall not produce the stationary storage type electric water heater with the previous energy consumption standards;
- (b) the stationary storage type electric water heater shall display revised star level and label period with the revised energy consumption standard and the manufacturing year of the stationary storage type electric water heater in synchronization with revised energy consumption standards;
- (c) all preparatory steps including awareness of the dealers, retailers, requisite publicity for their education as well as for the education of the consumers are well planned and action taken in advance.”

4. For regulation 6 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:

“6. Permission for display of label. - (1) No star label shall be affixed on a Stationary Storage type Electric Water Heater without obtaining the prior permission of the Bureau.

(2) For the purposes of obtaining permission of the Bureau, every brand shall be registered separately as specified in Form I – (A), accompanied by a label security fee of one lakh rupees, payable by electronic mode of payment.

(3) Every application of the permittee under sub-regulation (2) shall be accompanied by—

- (a) an application fee of two thousand rupees per model, payable by electronic mode and
- (b) a label security fee of one lakh rupees, payable by electronic mode:

Provided that in case of small scale industry label security fee shall be twenty -five thousand rupees; and

- (c) documents specified in Form I .

5. In regulation 7 of the said regulations,-

- (a) For sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(1) On receipt of an application under clause no. 6 of the regulation and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may, within a period as specified in its Manual on standards and labelling, subject to such terms and conditions as specified in regulation 8, —

- (a) grant permission to register the brand in Form II-(A) or in electronic form; and

(b) grant permission for affixing label on stationary storage type electric water heater in Form II or in electronic form.”

(b) for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(4) In case of revision of star rating plan, an application for renewal of permission shall be made by the permittee not later than one month before its expiry and shall be accompanied by a fee of rupees one thousand payable in electronic mode in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi.

Provided that in case of extension of star rating plan, the said renewal fee of rupees one thousand shall be exempted.”

6. In the said regulations,-

(a) In Form I, for the word and letter, “by DD NO”, occurring at both the places, the words “by Electronic mode” shall be substituted.

(b) after Form I, the following Form and annexure shall be inserted, namely:--

“FORM I – (A)

[See regulation 6 (2)]

(To be printed in Company letter head)

Application for registration of brand of Stationary Storage Type Electric Water Heater under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Stationary Storage Type Electric Water Heater heater) Regulations, 2022

To

The Director General

Bureau of Energy Efficiency,

(Ministry of Power, Government of India) 4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector-I, R.K. Puram, New Delhi – 110 066, India.

I/We am/are the manufacturer/manufacturers of Stationary Storage Type Electric Water Heater carrying out business at..... (full business address) under the style of (full name of individual or firm) hereby apply for permission to affix label on Stationary Storage Type Electric Water Heater as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display of the Label on Stationary Storage Type Electric Water Heater) Regulations, 2022.

The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility and payment is given in Annexure. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies or Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.

(a) Applicant/Authorised person: (Name and Designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm or other authorities and will be responsible for accuracy of the information supplied with this application.

(b) Contact person (Name and designation) is authorised to be the contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and use of the label.

(c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorized persons defined in (a) or (b) above

3. Production and sale figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	Maximum retail price of the equipment (Rs.)
Last year from..... to.....			
Current year from..... to (estimate)			

4. A label security fee of one lakh rupees or twenty-five thousand rupees as the case may be has been paid by electronic mode (To be filled only at the time of submission of label security fee).
5. I/We agree to pay the labelling fee as specified by the Bureau.
6. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
7. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
8. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated thisDay of (Year)

Signature

Name

Designation

.....

For and on behalf

of.....

(Name of the firm) SEAL OF FIRM

Annexure

[See para 2 of Form I – (A)]

1. Details of the Company

Name of the company	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	
Enclosures to support registration:	
(a) Document authenticating the name and address of the manufacturing or business premises	Yes/No
(b) Trade mark certificate	
(c) Small scale industries Certificate, if applicable	
(d) Quality Management System Certificate	
(e) Authorised signatory letter	
(f) Bureau of Indian standards license, if applicable	
(g) payment receipt for payment is made online	

2. Details of the manufacturing premise (a separate table may be provided in case of more than one manufacturing facility)

Name of the manufacturing facility	
Address	
Pin code	
State / Country	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	
Any other details (if any)	

Signature

Name

Designation
.....

For and on behalf
of.....
(Name of the firm) Seal of the

Firm”

- (c) after Form II, the following Form and annexure shall be inserted, namely:-

“ FORM II – (A)

[See regulation 7 (1) (a)]

Permission for registration of brand of Stationary Storage Type Electric Water Heater under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Stationary Storage Type Electric Water Heater heater) Regulations, 2022

New Delhi, dated.....

To

.....
.....
.....

- Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Stationary Storage Type Electric Water Heater) Regulations, 2022, the Bureau hereby permits you to register your brand as per details of approvals set out in Annexure to this letter.
- This permission is subject to—
 - the star level displayed on the label of the Stationary Storage Type Electric Water Heater shall conform to energy consumption standards for Stationary Storage Type Electric Water Heater notified under clause (a) of section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
 - the stamping of the label only on such model Stationary Storage Type Electric Water Heater for which permission has been granted;
 - the printing and affixture of the label on the Stationary Storage Type Electric Water Heater at the cost of the permittee;
 - the permittee ensuring that the star level displayed on the Stationary Storage Type Electric Water Heater shall be maintained at all time;
 - the permittee paying the label fee as specified by the Bureau;

- (f) the permittee furnishing to the Bureau a statement containing details of the production of the labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through an automated system;
- (g) the permittee making available such other details of Stationary Storage type Electric Water Heater as and when sought by the Bureau of which the permission has been granted.
3. The permittee shall not withdraw the registered brand and the Stationary Storage type Electric Water Heater from the market during the validity period except with the prior approval of the Bureau.
4. The unique label series code assigned by the Bureau of Energy Efficiency for the brand is..... and should appear on the label as per the approved design.
5. Signed, sealed and dated this..... day ofmonth, year.

Yours faithfully

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

Annexure

[See para 1 of Form II-(A)]

Details of Approvals

1. Details of the company

Name of the company	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	

2. Name of the brand registered:
3. Unique series code:
4. Other details if applicable:

Date:
faithfully,

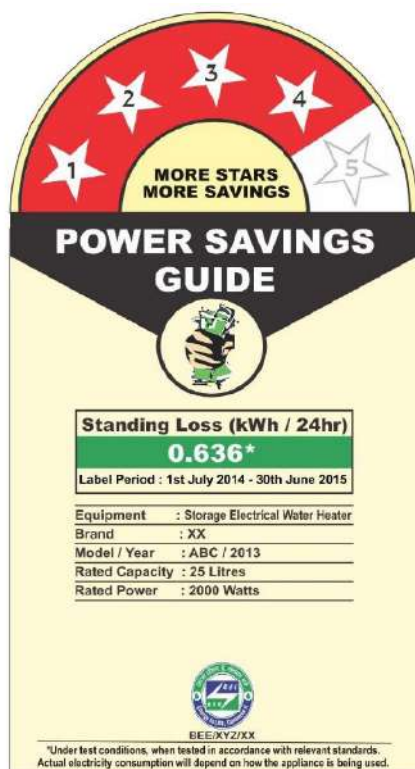
Yours

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency ”

- (d) in Form III, for the words and brackets, “by (crossed Demand Draft) (Details)/ Electronic Transaction (Details: Date:)”, occurring in Column (9),(11), and (14), the words “by Electronic mode” shall be substituted.
7. In the said regulations, in item number 3, for Annexure to Form II, the following sample label and Quick Response Code shall be substituted, namely:-

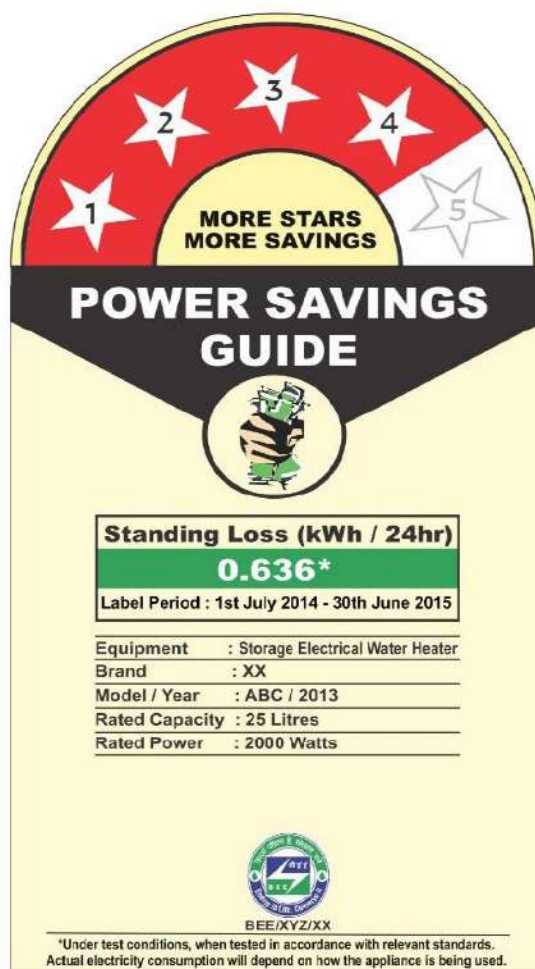
“



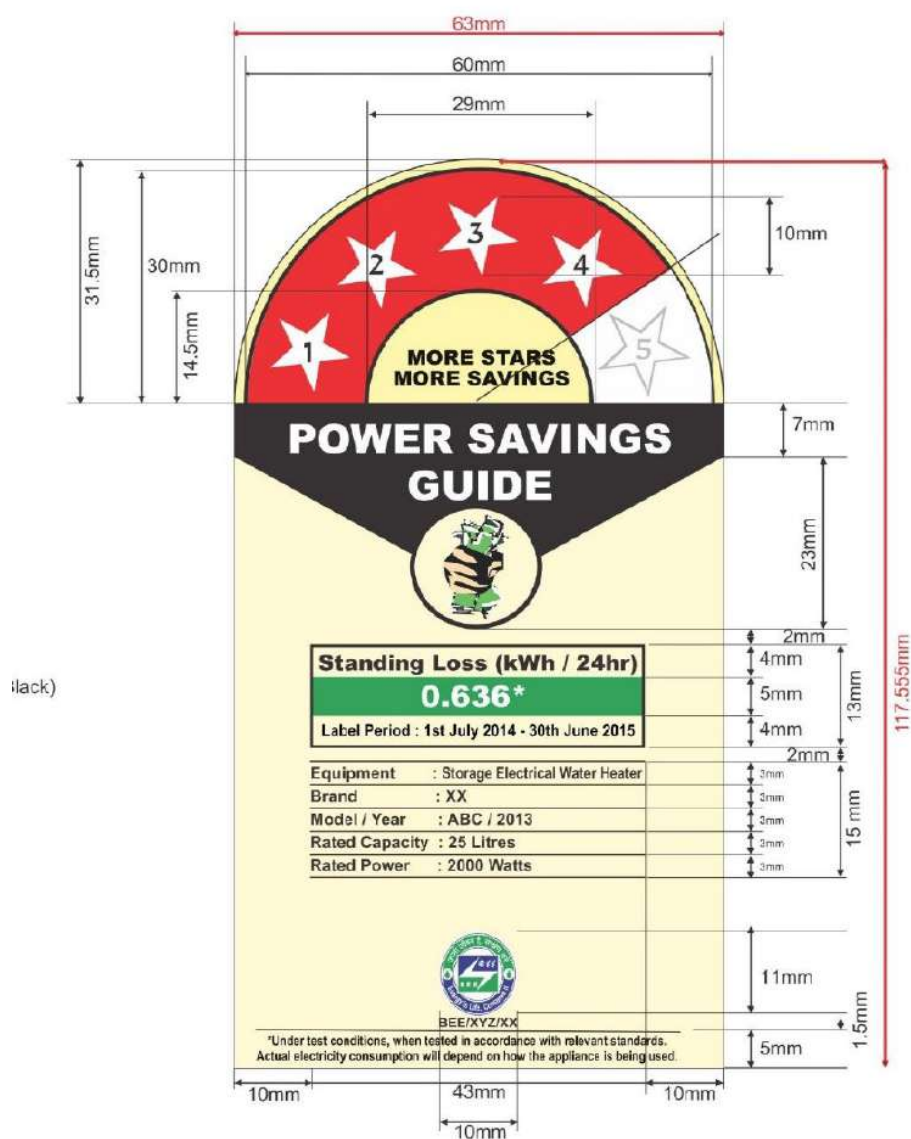
The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the Stationary Storage type Electric Water Heater.”

8. In the said regulations, in Schedule, under the heading, “Particulars to be displayed on labels of electric water heater”, for the figure, letters and words, “(1) Sample Label, (i) Dimension and (iii) Color scheme” the following shall be substituted, namely:-

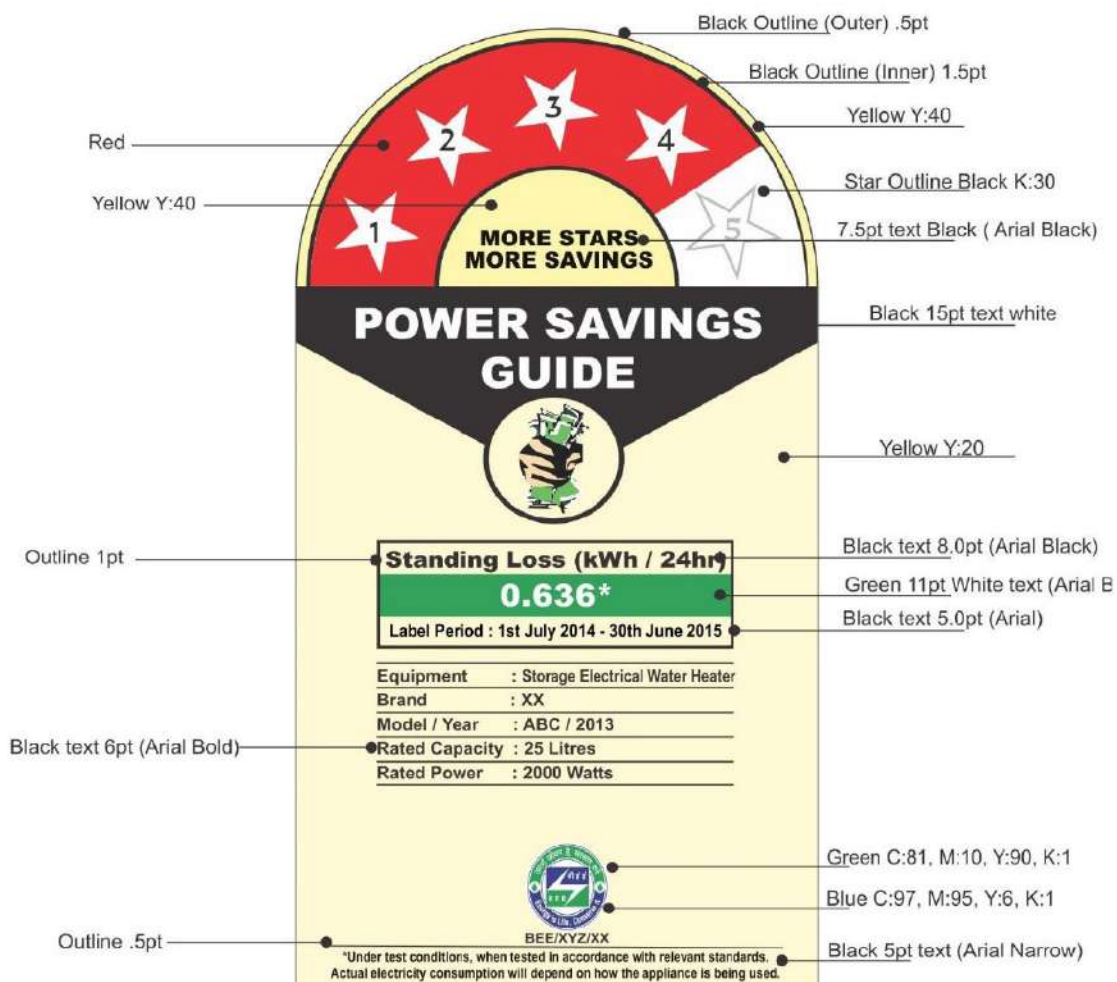
“(i) Sample Label (Design of the sample label);



(i) Dimension



(ii) Colour



ABHAY BAKRE Director General, Bureau of Energy Efficiency

[ADVT.-III/4/Ext./461/2022-23]